वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष :: 2015–16

कानपुर नगर निगम

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वर्ष 2015–2016

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है। प्रथम भाग में ऐसे सामान्य एवं गम्भीर प्रकरण जो ऑडिट आपत्तियों द्वारा अधिकारियों की जानकारी में लाये जा चुके थे, का समावेश किया गया है। उपर्युक्त नियमों में इस बात का भी प्रावधान है कि ऐसे प्रतिवेदन में इस बात पर भी प्रकाश डाला जाय कि उक्त उठाये गये सामान्य एवं गम्भीर प्रकरणों पर विभागों द्वारा क्या कार्यवाही की गई। उक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुये वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत है।

प्रशासन

आलोच्य वर्ष में, नगर निगम, कानपुर में निम्न माननीय महापौर, नगर आयुक्त एवं मुख्य नगर लेखा परीक्षक तैनात रहेः–

1. **माननीय महापौर** :– **श्री जगतवीर सिंह द्रोण।**
2. **नगर आयुक्त** :– 1. श्री उमेश प्रताप सिंह (दिनाँक 04.08.15 तक)
   2. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा (दिनाँक 05.08.15 से)
3. **मुख्य नगर लेखा परीक्षक** :– श्री हुबई।

भाग–1

1.1 अनिर्णीत आपत्तियाँ

नगर निगम के विभिन्न विभागाध्यक्षों ने सम्परीक्षा विभाग द्वारा वाँछित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने व उठायी गई आपत्तियों को निर्णीत कराये जाने की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–76 के अनुसार आपत्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर विभाग द्वारा उत्तर दे दिया जाना चाहिये परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा इस नियम का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण आलोच्य वर्ष में उठायी गयीं 31 साधारण आपत्तियों में से मात्र एक साधारण आपत्ति का निराकरण कराया गया व इसी प्रकार आलोच्य वर्ष में उठायी गयीं 08 विशेष आपित्तयों में से किसी भी आपत्ति को निर्णीत नहीं कराया गया।

वर्ष 2015–16 की साधारण एवं विशेष आपत्तियों का विवरण

क्रम सं0	विभाग का नाम	उठायी गयी सा0 आपत्तियाँ	निर्णीत सा0 आपत्तियाँ	शेष	उठायी गयी विशेष आपत्तियाँ	निर्णीत विशेष आपत्तियाँ	शेष
	1	2	3	4	5	6	7
1	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	2		2			
2	केयर टेकर	2		2			
3	उद्यान विभाग	2		2			
4	आचार्य नरेन्द्र देव महिला महाविद्यालय	2		2			
5	लेखा विभाग				1		1
6	सम्पत्ति विभाग				1		1
7	अधि अभियन्ता क्षेत्र–1	2		2			
8	अधि अभियन्ता क्षेत्र–2	2		2			
9	अधि अभियन्ता क्षेत्र–3	2		2			
10	अधि अभियन्ता क्षेत्र–4	1		1			
11	अधि अभियन्ता क्षेत्र–5	1		1			
12	अधि अभियन्ता क्षेत्र–6	1		1			
13	सहा0 न0 आयुक्त जोन–3	1	1				
14	प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)				1		1
15	प्रभारी अधिकारी (कैटिल कैचिंग)	2		2			
16	जलकल विभाग	11		11	5		5
कुल आपत्तियाँ		**31**	**1**	**30**	**8**	–	**8**

1.2 वाहनों से संबंधित लॉग बुकों को आडिट में न दिखाया जाना।

कम सं0	विभाग का नाम	माह व वर्ष	आपत्ति संख्या
1.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–1	जुलाई 15, दिसम्बर 15	1, 15
2.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–2	जुलाई 15, दिसम्बर 15	2, 16
3.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–3	जुलाई 15, दिसम्बर 15	3, 17
4.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–4	जुलाई 15	4
5.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–5	जुलाई 15	5
6.	अधिशाषी अभियन्ता जोन–6	जुलाई 15	6
7.	प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग	जुलाई 15, दिसम्बर 15	9, 19
8.	प्रभरी अधिकारी (उद्यान)	जुलाई 15, दिसम्बर 15	8, 20
9.	नगर स्वास्थ्य अधिकारी	जुलाई 15, दिसम्बर 15	7, 18
10.	प्रभारी अधिकारी केयर टेकर	जुलाई 15	10
11.	प्रभारी अधिकारी केयर टेकर	जुलाई 15	11

1.3 साधारण आपत्तियाँ

अधिशाषी अभियन्ता जोन–1

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 01)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–2

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 02)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–3

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 03)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–4

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 04)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–5

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 05)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–6

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 06)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 07)

प्रभारी अधिकारी (उद्यान)

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 08)

प्रभारी अधिकारी (कैटिल कैंचिंग)

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 09)

प्रभारी अधिकारी (केयर टेकर)

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह जून 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 10)

प्रभारी अधिकारी (केयर टेकर)

इस विभाग से सम्बन्धित जेनरेटरों को प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किया जाये ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 11)

<u>प्राचार्या, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय</u>

संबंधित पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम Y2K Computers, kanpur से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राचार्या द्वारा उपरोक्त आवेदन, अपर नगर आयुक्त (प्रशासन) को अग्रसारित किया गया। अपर नगर आयुक्त (प्रशासन) द्वारा अन्य संस्थाओं से भी Proposal प्राप्त करने हेतु लिखा गया। उक्त के अनुपालन में जिन अन्य दो संस्थाओं से Proposal प्राप्त किये गये, वह किस प्रकार प्राप्त किये गये, स्पष्ट नहीं हो सका। क्योंकि पत्रावली में संस्थाओं को Proposal प्रस्तुत किये जाने हेतु महाविद्यालय द्वारा कोई पत्र प्रेषित किये जाने का कोई भी पत्र संलग्न नहीं है। संस्थाओं द्वारा स्वतः Proposal किस प्रकार प्रस्तुत कर दिये गये।

पत्रावली में उपलब्ध छत्रपति शाहू जी महराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में 'ओ' स्तर के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को निदेशक (उच्च शिक्षा), इलाहाबाद (उ0प्र0) के निर्देशानुसार संचालित किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। जिसके अनुसार 'ओ' लेवल कोर्स हेतु प्रति छात्र फीस ₹ 120 प्रति माह

निर्धारित की गयी है। साथ ही उपरोक्त फीस महाविद्यालय द्वारा वसूले जाने का दिशा निर्देश है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में फीस निजी संस्था द्वारा वसूली जा रही है, जो कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। दिशा निर्देशों में प्रशिक्षक की अर्हताओं का भी उल्लेख है। महाविद्यालय में Y2K Computers, Kanpur द्वारा संचालित कोर्स हेतु जिन प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनकी अर्हता स्पष्ट नहीं है।

महाविद्यालय व संस्था के मध्य हुये Agreement के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त Agreement विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के कुछ अंशों को ही संज्ञान में लेकर तैयार किया गया है।

अतः सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा 'ओ' लेवल पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर निजी संस्था के माध्यम से किया जा सकता था, परन्तु ऐसा न कर Y2K Computers, Kanpur से Agreement कर लिया गया है। यदि 'ओ' लेवल पाठ्यक्रम संचालित नहीं भी करना था तो कम से कम उपरोक्त पाठ्यक्रम से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए था। प्रकरण में मात्र संस्था Y2K Computers, Kanpur का ही अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया गया है व अन्य शर्तो/ Agreement के संबंध में किसी भी स्तर से कोई भी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है व प्राचार्या द्वारा संस्था से Agreement कर लिया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये महाविद्यालय द्वारा स्पष्ट आख्या प्रस्तुत किये जाने व छात्राओं के हित में नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत ही कम्प्यूटर कोर्स का संचालित किये जाने हेतु प्रकरण संज्ञान में लाया गया।

अभी तक इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया है।

(साधारण आपत्ति सं0 12)

जोनल अधिकारी जोन–3

श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त कर निरीक्षक श्रेणी–2 को सेवाकाल में निर्गत एम0ए0सी0–2 रसीद बुक संख्या 227 एवं 8282 की जाँच में पाया गया कि श्री तिवारी द्वारा दिनाँक 08.08.14 को पुस्तक संख्या 227 में रसीद सं0 33 से 43 तक ₹ 5405 की वसूली की गयी वरन् नगर निगम कोष में ₹ 4405 जमा कराये गये। इसी प्रकार एम0ए0सी0–2 रसीद बुक संख्या 8282 में रसीद संख्या 01 से 6 तक ₹ 30952 की वसूली की गयी परन्तु ₹ 30949 ही नगर निगम कोष में जामा कराये गये।

श्री तिवारी द्वारा नगर निगम कोष में कुल ₹ 1003 कम जमा कराये गये। श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी द्वारा एम0ए0सी0–2 रसीद बुक संख्या 227 में कम जमा ₹ 1000 दिनाँक 22.10.2014 को नगर निगम कोष में लगभग ढाई माह बाद रसीद संख्या 18/565 के द्वारा जमा कराया गया। अतः पुस्तक संख्या 8282 में कम जमा धनराशि एवं एम ए सी– 2 बुक संख्या 227 में देरी का ब्याज आगणित करते हुये निर्धारित धनराशि नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु प्रेषित।

आवश्यक स्पष्टीकरण के साथ आगणित धनराशि नगर निगम कोष में जमा करायी गयी। **आपत्ति निस्तारित की गयी।**

(साधारण आपत्ति सं0 13)

प्राचार्या, आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय

आचार्य नरेन्द्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से वर्ष 2013 के परीक्षा केन्द्र व्यय के रूप में कुल धनराशि ₹ 7,40,537.00 प्राप्त हुयी थी। उक्त धनराशि में कार्यालय सहायक के मद में प्राप्त धनराशि ₹ 89432.00 भी सम्मिलित है। कार्यालय सहायक के मद में प्राप्त उक्त धनराशि को छोड़ कर शेष धनराशि ₹ 6,02,624.00 का वितरण मदवार किया जा चुका है। संबंधित पत्रावली में उपलब्ध विश्वविद्यालय के द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र व्यय (सेन्टर चार्जेज) की पुनरीक्षित दर ₹ 8/– प्रति परीक्षार्थी

निर्धारित की गयी है व उक्त धनराशि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु पारिश्रमिक के रूप में देय है। महाविद्यालय में कुल पंजीकृत छात्राओं की संख्या 11179 थी व प्रति परीक्षार्थी ₹ 8/– की दर पर कुल धनराशि ₹ 89432.00 विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की गयी।

परीक्षा नियंत्रक छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्र दिनाँक 23.07.2015 से भी स्पष्ट है कि उपरोक्त धनराशि का भुगतान परीक्षा संचालन में सहयोग करने वाले सभी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार किया जाना है।

अतः विश्वविद्यालय के द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत उपरोक्त रोक कर रखी गयी। धनराशि का वितरण महाविद्यालय के मात्र तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मध्य यथाशीघ्र नियमानुसार वितरित किये जाने की अपेक्षा की गयी एवं कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को भी अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 14)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–1

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह नवम्बर 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 15)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–2

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह नवम्बर 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 16)

अधिशाषी अभियन्ता जोन–3

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह नवम्बर 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 17)

नगर स्वास्थ्य अधिकारी

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह नवम्बर 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 18)

प्रभारी अधिकारी (कैटिल कैचिंग)

इस विभाग से सम्बन्धित वाहनों को माह नवम्बर 2015 में प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 19)

प्रभारी अधिकारी (उद्यान)

इस विभाग से सम्बन्धित जेनरेटरों को प्रतिदिन ईंधन निर्गत किया गया है। परन्तु उससे सम्बन्धित लाग बुकों को आडिट में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फलस्वरूप कुल खर्च ईंधन का सत्यापन न हो सका। लाग बुकों को आडिट मे प्रस्तुत न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अतः उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कराकर सम्बन्धित अभिलेखों को अविलम्ब सम्परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया ताकि कुल खर्च ईंधन का सत्यापन हो सके।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(साधारण आपत्ति सं0 20)

1.4 जलकल विभाग

वित्त अधिकारी, जलकल विभाग।

अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय जोन 2 से सम्बद्ध वाहन सं0 UP78 CT 2892 (इण्डिका) के भुगतान की पत्रावली का माह मार्च 2014 से अप्रैल 2015 तक का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि वाहन को 10 किमी/लीटर डीजल खर्च की दर से भुगतान किया जा रहा है। जबकि विभिन्न वाहन कम्पनियों द्वारा छोटे डीजल वाहनों का सामान्यतः 20 किमी/लीटर डीजल खर्च निर्धारित है। पत्रावली के परीक्षण में यह स्पष्ट न हो सका कि प्रश्नगत वाहन को किस आधार पर 10 किमी का माइलेज निर्धारित कर भुगतान किया जा रहा है। ऐसी स्थिती में जल संस्थान को आर्थिक क्षति संभावित है।

अतः सम्बन्धित वाहन कम्पनी से निर्धारित माइलेज का प्रमाण पत्र प्राप्त कर वस्तु स्थिति से परीक्षण विभाग को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी ताकि जल संस्थान को सम्भावित आर्थिक क्षति से बचाया जा सके। साथ ही मई 2015 से अगस्त 2015 तक की भुगतान पत्रावली का परीक्षण न कराये जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 01)

वित्त अधिकारी, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के अधिषाशी अभियन्ता जोन–2 के अन्तर्गत स्थायी अग्रिम द्वारा विभिन्न मदों में व्यय की जा रही धनराशि से सम्बधित अभिलेखों को विगत तीन वर्षों से परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जिससे इस मद में प्रतिमाह व्यय की गयी धनराशि व नियमानुसार की गयी क्रयदारी आदि का सत्यापन नहीं किया जा सका है। अभिलेखों को नियमित रूप से प्रतिमाह परीक्षण हेतु न प्रस्तुत किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक व लेखा नियमों के प्रतिकूल है।

अतः उक्त से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को विभागीय रोकड़बही के साथ परीक्षण हेतु एक सप्ताह में प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 02)

वित्त अधिकारी, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के अभियन्त्रण खण्ड (जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6 व मुख्यालय) की अभियन्त्रण कार्यों की जनवरी 2016 में भुगतान की गयी समस्त पत्रावलियों को अन्य सहायक अभिलेखों के साथ लेखा नियमावली के नियम 75(1) के अन्तर्गत परीक्षण हेतु अविलम्ब प्रस्तुत कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 03)

वित्त अधिकारी, जलकल विभाग।

जलकल विभाग में प्रतिदिन प्राप्त आय व विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि को लेखा नियमावली के नियम–7 के अन्तर्गत सामान्य रोकड़बही (प्रपत्र सं0–1) में दर्ज कर प्रतिदिन नियमित रूप में परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किन्तु लेखा विभाग द्वारा सामान्य रोकड़ बही को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे विभाग द्वारा प्रतिदिन प्राप्त आय व व्यय का विधिवत परीक्षण नहीं हो पा रहा है। यह लेखा नियमावली के नियम 75(1) व (2) के प्रतिकूल है।

अस्तु सामान्य रोकड़बही को प्रतिदिन नियमित रूप से परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 04)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के सेन्ट्रल स्टोर के अन्तर्गत की गयी क्रयदारी (एलम, ब्लीचिंग व क्लोरीन आदि) की पत्रावलियों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे उक्त सामग्री के नियमानुसार क्रय किये जाने तथा स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि करके विधिवत मांग के अनुरूप इण्डेन्ट के माध्यम से निर्गत किये जाने आदि का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जो

अनियमित, आपत्तिजनक व संस्थान के हितों के प्रतिकूल है। इस सम्बन्ध में पूर्व में माह दिसम्बर 2011 में आपत्ति सं0 10 निर्गत किये जाने के उपरान्त भी अभी तक पत्रावलियों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त कयदारी की विगत पाँच वर्षों की समस्त पत्रावलियों को अन्य सहायक अभिलेखों एवं विभागीय रोकड़बही के साथ परीक्षण हेतु लेखा नियमावली के नियम 75 (1) के अनुसार यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 05)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के समस्त जोनों व मुख्यालय के अन्तर्गत कर्मचारियों के चयन वेतनमान, ए0सी0पी0 व ग्रेड पे उच्चीकरण के फलस्वरूप माह दिसम्बर 2015 व जनवरी 2016 में भुगतान किये गये एरियर बिलों को उनकी व्यक्तिगत पत्रावलियों व विभागीय रोकड़बही के साथ परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 06)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के जोन–2 के स्थायी अग्रिम के अभिलेखों को विगत तीन वर्षों से परीक्षण हेतु प्रस्तुत न किये जाने पर माह नवम्बर 2015 में आपत्ति सं0 02 व पत्र संख्या 85/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 21.12.15 द्वारा अभिलेखों को प्रस्तुत करने व उचित कार्यवाही की अपेक्षा की गयी थी, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

अतः समस्त वांछित अभिलेखों को अन्य सहायक अभिलेखों व विभागीय रोकड़बही के साथ परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 07)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के अन्तर्गत सांसद निधि, विधायक निधि व पार्षद निधि से कराये गये विकास कार्यों की पत्रावलियों जिनका माह दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में भुगतान किया जा चुका है, परीक्षण हेतु अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयीं, जो लेखा नियमावली के नियम 75(1) के प्रतिकूल है। अतः उपरोक्त सभी पत्रावलियों को परीक्षण हेतु अति शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 08)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के अन्तर्गत जलकर एवं सीवर कर से सम्बन्धित मांग एवं समाहरण रजिस्टर को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे प्रतिवर्ष की मांग व वसूली गयी धनराशि का विधिवत परीक्षण नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लेखा नियमावली के नियम 25(1), (2) व (3) का अनुपालन हो रहा है या नहीं ?

अतः जोन–5 के दादा नगर इण्डस्ट्रियल एरिया, पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया के मांग एवं समाहरण रजिस्टर को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 09)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के जोन 4, 5,व 6 के कर्मचारियों को वर्ष 2015 में वितरित की गयी वर्दी के मद में यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन यूपिका को व्यय प्रमाणक संख्या–376 दिनाँक 12.01.16 द्वारा ₹ 466464.00 का भुगतान किया गया है, किन्तु भुगतान के लगभग 2 माह उपरान्त भी अभी तक पत्रावली को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे शासनादेश के अनुसार एक निर्धारित अवधि में वर्दी का वितरण व अनुमन्यता की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को ही वर्दी दी गयी है या नहीं आदि का परीक्षण नहीं हो पा रहा है।

अतः लेखा नियमावली के नियम 75(1) के अन्तर्गत प्रश्नगत पत्रावली को परीक्षण हेतु अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 10)

महाप्रबन्धक, जलकल विभाग।

जलकल विभाग के जोन 2 के रोकड़िया श्री अम्बा कान्त मिश्रा को वसूली के लिए निर्गत की गयी रसीद बुक सं0 17891 व 18092 परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गयी हैं, किन्तु वसूली गयी धनराशि से संबंधित (नियमितीकरण, जल संयोजन, जल विच्छेदन, सेवा संयोजन, नाम परिवर्तन व विकास शुल्क आदि) पत्रावलियाँ व सक्षम अधिकारी के आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रश्नगत अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(जलकल विभाग साधारण आपत्ति सं0 11)

1.5 विशेष आपत्ति

1. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–15 के वास्तविक अन्तिम अवशेष की सूचना सम्परीक्षा विभाग को उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध मे।

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 58(3) के अन्तर्गत प्रति वर्ष मार्च के अन्तिम कार्यदिवस का वास्तविक अन्तिम शेष आगामी दिन के सायंकाल 5 बजे के पूर्व निश्चित रूप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त नियमों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2014–15 के वास्तविक अन्तिम शेष की सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

नोटः– आवश्यक सूचना अभी तक अप्राप्त है।

(विशेष आपत्ति सं0 01)

2. सम्पत्ति विभाग

विषयः– श्रीमती शकुन्तला ओझा पत्नी स्व0 सुधीर कुमार ओझा, नायब मोहर्रिर के नगर निगम, कानपुर मोतीझील स्थित आफिर्सस फ्लैट संख्या बी/2 में अनियमित रूप से निवास करने के संबंध में।

सम्पत्ति विभाग द्वारा मोतीझील परिसर स्थित आफिसर्स फ्लैटों के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार श्रीमती शकुन्तला ओझा, नायब मोहर्रिर, जोनल कार्यालय जोन–6 आफिसर्स फ्लैट सं0 बी/2 में निवास कर रहीं है।

सम्पत्ति विभाग द्वारा उक्त फ्लैट श्रीमती शकुन्तला ओझा को आवंटित किये जाने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया है। कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में भी फ्लैट आवंटन से संबंधित कोई आदेश उपलब्ध नहीं पाया गया है।

उक्त के संबंध में सम्परीक्षा विभाग द्वारा चाही गयी सूचना पर जोनल अधिकारी जोन–6 द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती शकुन्तला ओझा की व्यक्तिगत पत्रावली एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों में उक्त फ्लैट का आवंटन संबंधी कोई प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण इनके वेतन से उक्त फ्लैट के किराये की कटौती नहीं की जा रही है। जबकि जाँच में पाया गया कि कर्मचारी के नियुक्ति आदेश व सेवा पुस्तिका में स्पष्ट रूप में निवास स्थान बी/2 आफिसर्स कालोनी, मोतीझील कैम्पस अंकित है।

कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली से यह भी स्पष्ट होता है कि इनकी नियुक्ति पति स्व0 सुधीर कुमार ओझा, सहायक अभियन्ता (वि0/या0) मार्ग प्रकाश की सेवाकाल में दिनाँक 02.01.2011 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप मृतक आश्रित के रूप में नायब मोहर्रिर पद पर की गयी है। संभवतः उक्त फ्लैट इनके पति स्व0 सुधीर कुमार ओझा को सहायक अभियन्ता होने के कारण आवंटित हुआ था।

इस प्रकार पति के निधन के पश्चात् बिना आवंटन आदेश के, निर्धारित श्रेणी से उच्च श्रेणी के फ्लैट में निवास कर रही हैं व कोई किराया भी वेतन से नहीं काटा जा रहा है। स्पष्ट है कि यदि उक्त फ्लैट, किसी अधिकारी को आवंटित होता तो नगर निगम को निर्धारित किराया प्राप्त होता व नगर निगम के अधिकारी को मकान किराये भत्ते का भुगतान भी नहीं करना पड़ता।

अतः श्रीमती शकुन्तला ओझा, नायब मोहर्रिर से अवैध अध्यासन की अवधि का नियमानुसार किराया वसूल करने के साथ ही फ्लैट खाली कराये जाने व अवैध अध्यासन हेतु संबंधित अधिकारी का दायित्व निर्धारित किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही एवं कृत कार्यवाही से कृपया सम्परीक्षा विभाग को भी अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(विशेष आपत्ति सं0 02)

3. प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप)

विषयः–नगर निगम में अधिकारियों को किराये पर/अनुबन्ध के आधार पर उपलब्ध कराये गये हल्के वाहनों के संबंध में।

नगर निगम के अधिकारियों को किराये पर/अनुबन्ध के आधार पर आवन्टित हल्के वाहनों के किराये के मद में दिनाँक 15.09.15. से दिनाँक 30.09.15 तक कुल धनराशि ₹ 50313.00 एवं दिनाँक 01.10.15 से दिनाँक 15.10.15 तक कुल धनराशि ₹ 502968.00 का भुगतान वाउचर सं0 829/दिसम्बर 15 व वाउचर सं0 828/दिसम्बर 15 द्वारा किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में पूर्व में, जिन अधिकारियों को नगर निगम द्वारा हल्के वाहन उपलब्ध कराये गये हैं, उक्त अधिकारियों की सूची (पदनाम सहित), वाहन हेतु अर्हता से सम्बन्धित नियमों/शासनादेश की प्रति, आवन्टन सम्बन्धी मूल पत्रावली तथा प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश आडिट में उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर नगर आयुक्त को पत्र दिनाँक 19.10.15, दिनाँक 29.10.15, दिनाँक 26.11.15 (अनुस्मारक–1), दिनाँक 05.12.2015 तथा दिनाँक 26.12.2015 (अनुस्मारक–2) प्रेषित किये गये।

उपरोक्त प्रेषित पत्रों के क्रम में प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप) द्वारा अपर नगर आयुक्त को पत्राँक डी/244/प्र0अधि0(वर्क0) दिनाँक 30.11.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित शासनादेश प्राप्त होने पर मुख्य नगर लेखा परीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य नगर लेखा परीक्षक को भी प्रेषित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त कोई भी सूचना/शासनादेश अभी तक सम्परीक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुये हैं।

नियमों/शासनादेश के अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि नियमानुसार पात्र अधिकारियों को ही वाहन आवंटित किये गये हैं व साथ ही उपरोक्त किये गये भुगतान की पुष्टि/सम्परीक्षा किया जाना भी संभव न हो सका।

अतः उपरोक्त से संबंधित समस्त अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

नोटः–आवश्यक अभिलेख अभी तक अप्राप्त है।

(विशेष आपत्ति सं0 03)

4. जलकल विभाग

विषयः– केन्द्रीय सेवा के पदों पर महाप्रबन्धक द्वारा पदोन्नति/नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

सहायक लेखा अधिकारी श्री कन्हैया लाल शुक्ला की सेवानिवृत्ति के पश्चात परीक्षण हेतु उनकी व्यक्तिगत पत्रावली एवं सेवा पुस्तिका परीक्षण विभाग के समक्ष परीक्षण के लिये प्रस्तुत की गयी। सहायक लेखा अधिकारी श्री कन्हैया लाल शुक्ला की पत्रावली का परीक्षण करते समय अन्य सहायक अभिलेखों से ज्ञात हुआ कि जलकल विभाग कानपुर में लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, वित्त अधिकारी, आडीटर आदि पदों पर महाप्रबन्धक द्वारा अपने स्तर से पदोन्नति/नियुक्ति की गयी है, जबकि नगर निगम केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1966 के अनुसार उक्त सभी पद केन्द्रीयत सेवा के है। उक्त पत्रावली का परीक्षण करते समय जलकल विभाग द्वारा कुछ शासनादेश इस आशय के परीक्षण विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये कि लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, वित्त अधिकारी, आडीटर आदि पद अकेन्द्रीयत सेवा के है और जल संस्थान/जलकल विभाग के उक्त पदों के संबंध में सेवा नियमावली बनाये जाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिये था परन्तु उक्त प्रकार की कोई अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली प्रख्यापित नहीं की गयी है। लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, वित्त अधिकारी, आडीटर आदि पदो का नगर निगम अकेन्द्रीयत सेवा नियमावली 1962 में कोई उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जलकल विभाग में लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी, वित्त अधिकारी, आडीटर आदि पदो पर महाप्रबन्धक द्वारा बिना सेवा नियमावली के अपने स्तर से पदोन्नति/नियुक्ति की गयी है। उक्त नियुक्ति/पदोन्नति विधि विरूद्व है।

अतः प्रकरण अत्यन्त गम्भीर होने के कारण लेखा नियमावली के नियम 76 के तहत संज्ञान में लाया गया। साथ ही कृत कार्यवाही से परीक्षण विभाग को भी अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया।

नोटः–आवश्यक स्पष्टीकरण अभी तक अप्राप्त है।

(विशेष आपत्ति सं0 04)

5. जलकल विभाग

विषयः– निर्गत आपत्तियों पर कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

जलकल विभाग द्वारा लेखा नियमावली के नियम 75(1) के अन्तर्गत अभिलेखों को नियमित रूप से परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराये जाने पर परीक्षण विभाग द्वारा आपत्तियाँ निर्गत की गयी थीं, किन्तु लेखा विभाग द्वारा की जा रही उपेक्षा के फलस्वरूप अभी तक किसी भी आपत्ति का निराकरण नहीं कराया गया। निर्गत की गयी आपत्तियों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्रम	आपत्ति सं0	विषय	निर्गत माह
1	साधा0 आ0 सं0 1	आर्थिक क्षति से संबंधित।	माह अक्टूबर 2015
2	साधा0 आ0 सं0 2	अभिलेखों का परीक्षण न कराया जाना।	माह नवम्बर 2015
3	साधा0 आ0 सं0 3	अभियन्त्रण विभाग की पत्रावलियों का परीक्षण न कराया जाना।	माह फरवरी 2016
4	साधा0 आ0 सं0 4	सामान्य रोकड़बही का परीक्षण न कराया जाना।	माह फरवरी 2016
5	साधा0 आ0 सं0 5	क्रयदारी की पत्रावलियों का परीक्षण न कराया जाना।	माह फरवरी 2016
6	साधा0 आ0 सं0 6	कर्मचारियों के एरियर बिल से संबंधित भुगतान वाउचर को परीक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना।	माह फरवरी 2016
7	साधा0 आ0 सं0 7	स्थायी अग्रिम के अभिलेखों का परीक्षण न कराया जाना।	माह फरवरी 2016
8	विशेष आपत्ति सं0 4	केन्द्रियत सेवा के पदो पर महाप्रबन्धक द्वारा की गयी नियुक्ति के संबंध में।	माह जनवरी 2016

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–76 के अन्तर्गत उक्त निर्गत आपत्तियों पर 15 दिनों में विभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी थी, किन्तु खेद है कि अभी तक इन आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जो विभागाध्यक्ष की शिथिलता व लेखा विभाग की उदासीनता का परिचायक है।

अतः प्रकरण लेखा नियमावली के नियम–76 के अर्न्तगत, जलकल लेखा विभाग पर अभिलेखों को नियमित रूप से परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व निर्धारित कर, आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु एवं कृत कार्यवाही से परीक्षण विभाग को भी अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया।

नोटः–इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(विशेष आपत्ति सं0 05)

6. जलकल विभाग

विषय –विभागीय रोकड़ बही व सामान्य रोकड़ बही को परीक्षण हेतु न प्रस्तुत किया जाना।

जलकल विभाग के विभिन्न जोनों के अन्तर्गत वसूलीकर्ताओं द्वारा जलकल व सीवरकर व अन्य मदों में प्रतिदिन नियमित रूप से वूसली गयी धनराशि को विभागीय रोकड़िया द्वारा प्राप्त कर संस्थान कोश में बैंको के माध्यम से जमा किया जाता है किन्तु सामान्य रोकड़बही को परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जिससे उक्त मदों में प्राप्त की गयी

पूरी धनराशि नियमानसुार संस्थान कोष में नियमित रूप से जमा हो रही है या नहीं तथा प्राप्त आय के विपरीत नियमित रूप से कितनी धनराशि किन–किन मदों में व्यय की जा रही है आदि का परीक्षण नहीं हो पा रहा है, जो जलकल विभाग के आर्थिक हितों से संबंधित गम्भीर प्रकरण है।

इस सम्बन्ध में जलकल लेखा विभाग का उत्तरदायित्व निर्धारित कर लेखा नियमावली के नियम 75 (1) व (2) के अन्तर्गत सामान्य रोकड़बही को प्रतिदिन नियमित रूप से परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

नोटः–इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(विशेष आपत्ति सं0 06)

7. जलकल विभाग

विषयः–कर्मचारियों की वर्दी की क्रयदारी में सम्भावित अनियमितता के संबंध में।

जलकल लेखा विभाग के जोन–4, 5 व 6 के कर्मचारियों को वर्ष 2015 में वितरित की गयी वर्दी के मद में यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन यूपिका को व्यय प्रमाणक संख्या 376 दिनाँक 12.01.2016 द्वारा ₹ 466464.00 का भुगतान किया गया था। भुगतान के उपरान्त लेखा नियमावली के नियम 75 (1) के अन्तर्गत प्रश्नगत पत्रावली को परीक्षण हेतु प्रस्तुत न करने पर परीक्षण विभाग द्वारा आपत्ति सं0 10 दिनाँक 09.03.2016 निर्गत की गयी थी, किन्तु जलकल लेखा विभाग द्वारा उक्त पत्रावली को परीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

शासनादेश संख्या 1651/18–2–12–47 (एस0पी0)/10 दिनाँक 24 दिसम्बर 2012 के प्रस्तर 2 के अनुसार मौलिक रूप से नियुक्ति एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके समस्त स्थायी जमादार, अर्दली, दफ्तरी, पत्र वाहक, कार्यालय चपरासी तथा राजकीय वाहन चालक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी अनुमन्य है तथा शासनादेश के प्रस्तर 6क(अ) के अनुसार ग्रीष्म कालीन वर्दी हेतु प्रति कर्मचारी ₹ 680.00 की धनराशि निर्धारित की गयी है।

उक्त शासनादेशानुसार जलकल विभाग द्वारा वर्दी के मद में भुगतान की गयी धनराशि ₹ 466464.00 से जोन 4, 5 व 6 के लगभग 686 कर्मचारियों हेतु वर्दी की क्रयदारी की गयी है, किन्तु प्रश्नगत पत्रावली को परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराने से सम्बन्धित तीनों जोनों में वर्दी हेतु अनुमन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वास्तिविक संख्या व उनको वर्दी का वितरण किये जाने आदि का परीक्षण नहीं हो पा रहा है। आपत्ति निर्गत किये जाने के उपरान्त भी पत्रावली को परीक्षण हेतु प्रस्तुत न किये जाने से वर्दी क्रयदारी में अनियमितता कर जल कल विभाग को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाने की सम्भावना प्रतीत होती है।

अस्तु सम्भावित आर्थिक क्षति का उक्त गम्भीर प्रकरण लेखानियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत आवश्यक व प्रभावी कार्यवाही करने एवं जलकल विभाग के जोन 1, 2 व 3 में उक्त मद में की गयी क्रयदारी की अन्य पत्रावली को परीक्षण विभाग को उपलब्ध करवाये जाने एवं कृत कार्यवाही से परीक्षण विभाग को भी अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया।

नोटः–आवश्यक अभिलेख अभी तक अप्राप्त है।

(विशेष आपत्ति सं0 07)

8. जलकल विभाग

विषयः– वैधानिक व्यवस्था के विपरीत नियम विरूद्ध किये जा रहे कार्य के संबंध में।

जलकल विभाग में स्थानीय स्तर पर नियुक्त किये गये आडीटर श्री शिवकुमार सिंह द्वारा भुगतान पूर्व सम्परीक्षा (प्री आडिट) किये जाने का महाप्रबन्धक द्वारा वैधानिक व्यवस्था के विपरीत निर्गत पत्र सं0 जल/3710/जी.एम.एस. –19/15–16 दिनाँक 28.01.16 के संबंध में परीक्षण विभाग द्वारा पत्र सं0 105/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 18.02.16 व

अनुस्मारक पत्र सं0 120/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 11.03.16 निर्गत कर कुछ बिन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी थी किन्तु जलकल विभाग द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही न करके विधि व नियम विरूद्ध कार्य निरन्तर किया जा रहा है। जिसके संबंध में जलकल लेखा विभाग द्वारा भी कोई आपत्ति नहीं की गयी, जिससे इस विभाग की भी कार्य प्रणाली सन्देह की परिधि में आती है। इस प्रकार विभागीय स्तर पर किया जा रहा प्री आडिट कार्य लेखा नियमावली के विपरीत है। इससे जल संस्थान को भारी आर्थिक क्षति सम्भावित है।

अस्तु उक्त गम्भीर प्रकरण लेखानियमावली के नियम 76 के अन्तर्गत इस पर रोक लगाने व अब तक स्थानीय स्तर पर जाँची गयी समस्त पत्रावलियों को परीक्षण विभाग को उपलब्ध कराये जाने व लेखा विभाग के कार्यों की जांच किये जाने एवं कृत कार्यवाही से परीक्षण विभाग को भी अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

नोटः—इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी।

(विशेष आपत्ति सं0 08)

1.6 माँग पत्र

1. मुख्य अभियन्ता

मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पत्र संख्या 14/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 14.05.15 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं वित्तीय वर्ष 2014–15 से संबंधित अभियंत्रण विभाग के सभी जोनों के रोड रजिस्टर सम्परीक्षा विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था, जिससे कौन सी रोड का कितने समयान्तराल पर और कितनी धनराशि से मरम्मत/निर्माण कार्य कराया गया, का सत्यापन किया जा सके। किन्तु उक्त से संबंधित कोई भी सूचना/अभिलेख सम्परीक्षा विभाग को आज तक अप्राप्त है।

नोटः–आवश्यक अभिलेख अभी तक अप्राप्त है।

पत्र संख्या 14/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 14.05.15

2. जोनल अधिकारी जोन–1, 2, 3, 4, 5 व 6

सम्परीक्षा विभाग के पत्र संख्या 15/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 14.05.15 के माध्यम से विगत 5 वर्षों में जिन भवनों पर व्यवसायिक कर निर्धारित किया गया था, उनसे सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियाँ सम्परीक्षा हेतु 15 दिनों के भीतर सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

खेद का विषय है कि उपरोक्त वांछित अभिलेख आज तक अप्राप्त हैं। नगर निगम के आर्थिक हितों से सम्बन्धित पत्रावलियों की सम्परीक्षा न कराये जाने पर नगर निगम को आर्थिक क्षति की संभावना बनी रहती है।

अतः उपरोक्त वांछित अभिलेख अविलम्ब सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

नोटः– आवश्यक अभिलेख अभी तक अप्राप्त है।

पत्र संख्या 28/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 15.06.15

3. प्रभारी अधिकारी शिक्षा

नगर विकास अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 1300(1)/नौ–7–12–191रिट/12 दिनाँक 22 जून 2012 का संदर्भ ग्रहण करें। उपरोक्त शासनादेश जिसकी प्रति समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, को भी प्रेषित की गयी है, के अनुसार, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनाँक 30.11.2012 को हुयी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनाँक 29.03.2007 के पूर्व नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का भुगतान नगर निगम द्वारा तथा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त शिक्षकों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा सुनिशिचित किया जायेगा। साथ ही उपरोक्त प्रकृति के विद्यालयों के समस्त सेवानिवृत्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशन व अन्य देयों का भुगतान भी शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के अनुसार निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुये समस्त नागर निकायों को अपने स्तर से निर्देश जारी करना था।

अवगत कराने की अपेक्षा की गयी कि क्या निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उक्त के संबंध में कोई दिशा निर्देश प्रदान किये गये है अथवा नगर निगम, कानपुर द्वारा उक्त के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से कोई पत्राचार किया गया है ? साथ ही यह स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी कि शासन द्वारा निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् नगर निगम के दिनाँक 29.03.2007 के पश्चात् सेवानिवृत्त हुये शिक्षकों को किस आधार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है व वर्तमान में सेवा निवृत्त होने वाले शिक्षकों की पेंशन नगर निगम, कानपुर द्वारा किस आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।

नोटः–आवश्यक स्पष्टीकरण अभी तक अप्राप्त है।

पत्र संख्या 33/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 25.06.15

4. नगर आयुक्त

विषयः– लेखा विभाग द्वारा नगर निगम, कानपुर के लेखों का रख रखाव उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में विहित प्राविधानों के अनुसार न किया जाना।

नगर निगम के लेखों की जाँच करने का प्रारम्भिक दायित्व उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 142(2) के तहत मुख्य नगर लेखा परीक्षक में निहित है। इस अधिनियम की धारा 153 के तहत लेखों को रखने एवं उनकी सम्परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 प्रख्यापित की गयी है। जिसके अन्तर्गत नियम 75 एवं 76 के तहत नगर निगम के लेखों का परीक्षण किये जाने एवं परीक्षण में पायी जानी वाली सामान्य एवं गम्भीर आपत्तियों को जारी करने की व्यवस्था दी गयी है। उक्त लेखा नियमावली के नियम 75 में निम्न प्राविधान किया गया है :–

नियमः– 75 :– लेखों का मासिक परीक्षण तथा लेखा परीक्षा मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित रीति से संचालित की जायेगी।

1. समस्त भुगतानों की जैसे ही वे किये जायें, लेखा परीक्षा की जायेगी।
2. समस्त प्राप्तियों की, जैसे ही वे सामान्य रोकड़–बही के लेखे में दर्ज की जायँ परीक्षा की जायेगी।
3. सहायक पुस्तको तथा लेखों की परीक्षा प्रतिदिन अथवा मास के अन्त में जैसा भी सुविधापूर्ण हो, की जा सकती है।

सामान्य रोकड़बही परीक्षण में प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी को पत्र संख्या 76/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 09.03.2015, पत्र संख्या 22/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 01.06.2015 एवं पत्र संख्या 32/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 25.06.2015, प्रेषित किये गये, जिसकी प्रतिलिपि नगर आयुक्त को भी प्रेषित की गयी थी, परन्तु मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी अपितु निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश के पत्राँक पी.एम.यू./434/374/2010 दिनाँक 28.03.2011 का संदर्भ देते हुये यह कहा गया कि लेखा विभाग द्वारा दोहरी लेखा प्रणाली अपनायी जा रही है एवं आडिट हेतु सम्परीक्षकों को कम्प्यूटर सेल में भेजने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश के उपरोक्त पत्र दिनाँक 28.03.2011 में यह उल्लिखित है कि "––– **लेखा नियमावली में संशोधन होने तक वर्तमान एकल लेखा प्रणाली के अनुसार भी लेखा को पूर्ववत बनाया जाता रहेगा।**" उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के किंचित प्राविधानों का निम्नानुसार उल्लेख किया जाना समीचीन हैः–

नियम 3:– राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना इन नियमों में विहित लेखा प्रपत्रों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा और न कोई नया प्रपत्र बढ़ाया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नगर निगम बैंकों के साथ अपने संव्यवहार में इन नियमों में विहित प्रपत्रों के स्थान पर बैंकों के पपत्रों का प्रयोग कर सकती है।

नियम 7:– नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अथवा व्यय की गयी समस्त धनराशियाँ तुरन्त तथा बिना किसी व्यावृत्ति के नगर आयुक्त अथवा तदर्थ प्राधिकृत नगर निगम के किसी अन्य पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में सामान्य रोकड़–बही (प्रपत्र सं0 1) में दर्ज की जायेंगीः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नगर निगम द्वारा किसी विशेष निधि की स्थापना की जाय और उसका लेखा अलग से रखा जाय तो उसके लिये एक अलग सामान्य रोकड़बही प्रपत्र सं0 1 में रखी जायेगी।

नियम 21:– रोकड़–बही में प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् चालान मांग और समाहरण लिपिक के पास भेज दिया जायेगा, वह चालान की प्रत्येक मद को मांग और समाहरण रजिस्टर में उपयुक्त स्थान पर चढ़ायेगा, और प्रत्येक चालान का योग उसके समुचित मण्डल (सर्किल) के अन्तर्गत समाहरण के दैनिक संक्षेप में भी दर्ज करेगा जो प्रपत्र संख्या 16 में रखा

जायेगा। तब चालान एक रक्षी पत्रावली (गार्ड फाइल) में नत्थी किये जायेंगें जो लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये रखी जायेगी।

नियम 38 (4):– प्रमाणक पर 'भुगतान करें' की आज्ञा अनुलिखित हो जाने और उसके पारित हो जाने पर वास्तविक पाने वाले के नाम में एक आदेश देय (Order) चेक काटा जायेगा और प्रपत्र सं0 26 में चेक भुगतान रजिस्टर तथा सामान्य रोकड़–बही मे प्रविष्टि कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् प्रमाणक मुद्रांकित (चेक संख्या––––– दिनाँक––––द्वारा भुगतान किया गया) किया जायेगा और लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये नत्थी किया जायेगा तथा जब पाने वाले को रसीद प्राप्त हो जाये तो उसे उसके (प्रमाणक) साथ संलग्न कर दिया जायेगा।

नियम 58 (1):– सामान्य रोकड़बही को प्रतिदिन बन्द किया जायेगा तथा उसकी बाकी निकाली जायेगी और उस पर लेखा अधिकारी स्वयं तथा नगर आयुक्त अथवा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे।

नियम 58 (3):– प्रतिवर्ष मार्च के अन्तिम कार्यदिवस को वास्तविक अन्तिम शेष आगामी दिन के सायंकाल 5 बजे के पूर्व निश्चित रूप से मुख्य नगर लेखा परीक्षक को सूचित किया जायेगा।

यहाँ यह भी उल्लेख कर दिया जाना उचित होगा कि लेखों के रख रखाव हेतु अपनायी जाने वाली डबल इन्ट्री पद्धति में भी प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु निम्नलिखित लेखा पुस्तकों का बनाया जाना आवश्यक है।

1.सामान्य रोकड़–बही। 2. एक अतिरिक्त बैंक बुक। 3. जर्नल/रोजनामचा। 4. सामान्य लेजर।

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा परीक्षण विभाग को लिखे गये उनके उत्तर से स्पष्ट है कि लेखा विभाग द्वारा सामान्य रोकड़ बही नहीं बनायी जाती है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में न ही कोई संशोधन किया गया है और न ही दोहरी लेखा प्रणाली के तहत आडिट कार्य हेतु कोई आडिट कार्य नियमावली ही प्रख्यापित की गयी है। अतः कानपुर नगर निगम के लेखा विभाग द्वारा लेखा नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लेखे तैयार न करना एवं वांछित अभिलेखों का परीक्षण हेतु उपलब्ध न कराया जाना, लेखा नियमावली 1960 के उपरोक्त प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि गम्भीर वित्तीय अनियमितता की परिधि में आता है। दी गयी व्यवस्था के अनुसार लेखों की नियमित जाँच न कराना नगर निगम अधिनियम 1959 एवं लेखा नियमावली 1960 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 467 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144(1) के तहत नगर निगम की सामान्य रोकड़बही समस्त व्यय प्रमाणकों एवं चालानों सहित परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाने की अपेक्षा की गयी।

नोटः– इस सम्बन्ध में लेखा विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

पत्र संख्या 39/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 19.08.15

5. नगर आयुक्त

विषयः–श्री मो0 वसीक पुत्र श्री मो0 लईक, सहायक हकीम (कम्पाउन्डर) यूनानी की नियुक्ति प्रकरण की जाँच के संबंध में।

श्री मो0 वसीक पुत्र श्री मो0 लईक की तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्ति सहायक हकीम (कम्पाउन्डर) यूनानी के रिक्त पद पर वेतनमान ₹ 340–550 में मूल वेतन ₹ 340 प्रतिमाह मंहगाई एवं अन्य देय भत्तों के साथ एक वर्ष अथवा उक्त पद पर चयन समिति गठित होने तक कार्मिक विभाग के आदेश संख्या 616/व्यव0–46/87/क दिनाँक 10.12.87 द्वारा की गयी थी।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका सेवा (पदनाम, वेतनक्रम, अर्हताऐं, वाहन भत्ता और भर्ती की रीति) आज्ञा 1963 के खण्ड चिकित्सा सेवा के क्रमांक 16 पर कम्पाउन्डर (देशी औषधालय) पद पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षिक अर्हता

" बोर्ड ऑफ इन्डियन मेडिसिन्स, उत्तर प्रदेश के असिस्टैन्ट या सहायक वैद्यों तथा हकीमों का किसी ऐसे कालेज से दो वर्ष का पाठ्यक्रम जो इस प्रयोजन के लिये उक्त बोर्ड से सम्बद्ध हो" आवश्यक है। नियुक्ति के समय श्री मो0 वसीक द्वारा प्रस्तुत भारतीय चिकित्सा बोर्ड उत्तर प्रदेश की सहायक हकीम परीक्षा का प्रमाण पत्र संख्या 35 दिनाँक 29.09.1977 प्रस्तुत किया गया। पत्रावली में संलग्न छायाप्रति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रमाण पत्र दो वर्षीय पाठ्यक्रम का नहीं है। पुनः श्री मो0 वसीक की शैक्षिक योग्यता फर्जी होने के संबंध में प्राप्त कतिपय शिकायती पत्रों के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभाग द्वारा रजिस्ट्रार भारतीय चिकित्सा बोर्ड को पत्र संख्या 1203/प0वि0/90 दिनाँक 24.11.90 प्रेषित कर उपरोक्त प्रमाण पत्र संख्या 35 की पुष्टि चाही गयी (व्यक्तिगत पत्रावली का संलग्नक–63)। कार्यालय रजिस्ट्रार, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र संख्या 1132/शिक्षा/90 दिनाँक 03.12.1990 के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्री मो0 वसीक द्वारा सहायक हकीम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गयी है। इस संबंध में उन्हें प्रमाण पत्र संख्या 35 निर्गत नहीं किया गया है (व्यक्तिगत पत्रावली का संलग्नक–62)।

उपरोक्त से संबंधित आायुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के पत्र संख्या 3005/21–001 /95–96 दिनाँक 27.08.1996 जो कि व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न है (व्यक्तिगत पत्रावली का संलग्नक–61), एवं तत्कालीन मुख्य नगर अधिकारी को संबोधित है के संबंध में नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व्यक्तिगत पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। अतः आयुक्त, कानपुर मण्डल के उपरोक्त पत्र के संबंध में नगर निगम द्वारा की गयी जाँच/कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) के अन्तर्गत अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

नोटः– वांछित स्पष्टीकरण अभी तक अप्राप्त है।

पत्र संख्या 40/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 24.08.15

6. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

दिनाँक 01 जुलाई 2015 से दिनाँक 15 जुलाई 2015 के मध्य नगर निगम के अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये हल्के वाहनों (किराये पर) से सम्बन्धित बिल का परीक्षण करते समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये।

माह जुलाई में दिनाँक 01.07.15 से दिनाँक 15.07.15 के मध्य अधिकारियों को किराये पर दिये गये हल्के वाहनों का बिल ₹ 5,10,421.00 दर्शाया गया है। माननीय महापौर महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों को उपलब्ध कराये गये वाहनों से सम्बन्धित मूल पत्रावली मुख्य नगर लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की गयी एवं वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अन्य कोई आदेश/शासनादेश यदि ज्ञात हो तो उसे भी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश भी संलग्न कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
नोटः– आवश्यक आदेश एवं स्पष्टीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं कराये गये।

पत्र संख्या 63/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 29.10.15

7. जोनल अधिकारी (जोन–6)

श्री मयंक अवस्थी, राजस्व निरीक्षक श्रेणी–2 द्वारा जोन–6 में पदस्थापना के समय की गयी वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में नगर आयुक्त को प्रेषित विशेष आपत्ति संख्या 13/डी/मु0न0ले0प0 दिनाँक 28.01.11 एवं विशेष आपत्ति सं0 5/डी/मु0न0ले0प0 दिनाँक–06.03.14 के द्वारा, कर्मचारी द्वारा समय समय पर वसूली गयी धनराशि ₹ 539416.00 को नगर निगम कोष में जमा किये जाने से संबंधित अभिलेख/साक्ष्य परीक्षण विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने के संबंध में निर्गत की गयी थी व सम्बन्धित लेखा परीक्षक द्वारा इंगित किया गया था कि यह नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुचाने के लिए सोच समझ कर किया गया गबन है।

उक्त आपत्ति में लेखा परीक्षक ने तत्कालीन संबंधित जोनल अधिकारी/कर अधीक्षक द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने का भी उल्लेख किया है।

श्री मयंक अवस्थी, राजस्व निरीक्षक श्रेणी–2 द्वारा आपत्ति में उल्लिखित धनराशि ₹ 539416.00 जो कि गृहकर के रूप में वसूल की गयी परन्तु उसको नगर निगम कोष में जमा नहीं किया गया। जोनल अधिकारी जोन–6 द्वारा उल्लिखित धनराशि को नगर निगम कोष में जमा कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

अविलम्ब कृत कार्यवाही से अवगत कराने का अनुरोध किया गया, ताकि नगर निगम को आर्थिक क्षति होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश नगर निगम सरचार्ज रूल्स 1966 के नियम–3 के अन्तर्गत दोषी/लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी से वसूली की कार्यवाही की जा सके।

नोटः–इस संबंध में अभी कृत कार्यवाही से अवगत नही कराया गया।

पत्र संख्या 65/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 04.11.15

8. नगर आयुक्त

विषयः– विज्ञापन कर विभाग द्वारा, बार–बार माँगे जाने पर भी अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत न किये जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति की संभावना के संबंध में।

विज्ञापन कर विभाग द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत विज्ञापन पटों आदि से विज्ञापन कर की वसूली की जाती है, परन्तु न तो उससे सम्बन्धित अभिलेखों की सम्परीक्षा करायी जा रही है व न ही संबंधित रसीद बुकों को अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रत्येक विज्ञापन एजेन्सी पर कायम माँग से संबंधित माँग–समाहरण रजिस्टर, विभागीय रोकड़बही आदि तैयार न किये जाने के कारण नगर निगम को आर्थिक क्षति की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

पूर्व में भी विज्ञापन कर से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र व विशेष आपत्ति निर्गत की जा चुकी हैं, परन्तु अभी तक संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः प्रकरण पुनः इस आशय से संज्ञान में लाया गया कि अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में नगर आयुक्त के स्तर से प्रभावी कार्यवाही की जाये।

नोटः–इस संबंध में अभी तक वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

पत्र संख्या 66/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 04.11.15

9. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 का नियम 72 (3) निम्न प्रकार हैः–

" नगर निगम के विभिन्न विभागों में रखी गयी लेखा पुस्तकों की जाँच लेखा अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा उसका परिणाम केन्द्रीय कार्यालय में रखी गयी निरीक्षण पुस्तक में अभिलिखित किया जायेगा। पायी गयी अनियमितताओं की सूचना विभाग के प्रभारी पदाधिकारी को दी जायेगी तथा अकरणों (OMISSIONS) के ऐसे मामलों की सूचना, जिनसे हानि होने की संभावना हो, लेखा अधिकारी द्वारा तत्काल नगर आयुक्त तथा मुख्य नगर लेखा परीक्षक को दी जायेगी।"

उत्तर प्रदेश नगर निगम सार्वजनिक निर्माण कार्य नियमावली 1974 में लेखा संबंधी कुछ प्रमुख प्राविधान निम्न प्रकार हैः–

नियम 2.1 (घ) :– ..... तखमीने की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अभियन्ता उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 42 (1) के अधीन बनाये गये स्वीकृत एवं स्वीकृति आकार रजिस्टर (प्रपत्र संख्या 27) में उसकी प्रविष्टि करेगा तत्पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिये कार्यवाही करेगा।

ठेकेदार, जब उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाये तब अभियन्ता को बिल प्रस्तुत करेगा। जिस पर उसके यथाविधि हस्ताक्षर होंगे और वह अपने कार्यालय में उसकी परिनिरीक्षा करायेगा और बिल पर यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य ठेके की शर्तों के अनुसार यथाविधि पूरा कर दिया गया है और माप आदि, जैसा कि बिल में अभिलिखित है ठीक है। तत्पश्चात् अभियन्ता बिल को पास कर देगा और उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम 38 (1) में विहित प्रपत्र संख्या 25 में यथाविधि प्रविष्टि करके केन्द्रीय कार्यालय को भेज देगा तथा लेखा विभाग में बिल की प्राप्ति स्वरूप रजिस्टर के स्तम्भ 5 में लेखा अधिकारी के दिनाँक सहित हस्ताक्षर प्राप्त करेगा। तत्पश्चात लेन–देन से उसका कोई सम्बन्ध न होगा। ठेकेदार केन्द्रीय कार्यालय से भुगतान लेगा। जहां उसे लेखे में लाया जायेगा और प्राप्तकर्ता से उचित रसीद ली जायेगी। तत्पश्चात लेखा अधिकारी, भुगतान की गई धनराशि, भुगतान का दिनांक तथा प्रमाणक 'बाउचर' संख्या के सम्बन्ध में माप पुस्तिका में एक टिपपणी लिखेगा। मुख्य अभियन्ता, लेखा नियमावली के प्रपत्र संख्या 25 में रजिस्टर के स्तम्भ संख्या 10 तथा संख्या 11 मे तदनुसार प्रविष्टियां पूरी करवायेगा। यदि निर्माण कार्य ठेके से भिन्न अन्य किसी प्रकार से किया जाय तो अभियन्ता विस्तार पूर्वक बिलों को तैयार करेगा और उसकी शुद्धता को उसकी प्रकार प्रमाणित करेगा मानो वह ठेके के सम्बन्ध मे कार्यवाही कर रहा हो और उन्हें भुगतान के लिए केन्द्रीय कार्यालय भेज देगा।

नियम 2.3 :–नगर निगम, कार्य कारिणी समिति और नगर आयुक्त निर्माण कार्यों के लेखे को उचित ढंग से रखने के लिए ध्यान देंगे।

नियम 3 :– नगर निगम द्वारा हाथ मे लिए गये प्रत्येक ऐसे निर्माण कार्य का जिसका अनुमानित मूल्य रू 2500 से अधिक न हो, लेखा इस नियमावली मे संलग्न प्रपत्र क में रखा जायेगा।

नियम 5 (क) :– ज्यों ही तदर्थ अधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा तखमीना स्वीकृत किया जाये, तखमीने की मदें और उनके परिमाण, दरें और धनराशि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ख के सिरे पर खाली स्तम्भों में क्रम से चढ़ाई जायेगी। जब कोई टेण्डर स्वीकार कर लिया जाये, तो प्रत्येक मद की स्वीकृत दरें भी लिखी जायेगी।

नियम 8 :– नगर निगम द्वारा हाथ में लायी गयी सभी परियोजनाओं और दिये गये ठेकों के लिए इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र ग और घ में पंजियां रखी जायेगी।

अतः नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के उपरोक्त नियम 72 (3) के अनुपालन में मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी के स्तर से कब–कब नगर निगम के विभिन्न विभागों के लेखों की जाँच गयी, साथ ही अभियन्त्रण खण्डों में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण कार्य लेखा नियमावली 1974 के नियमों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं, के परीक्षण हेतु नियम में प्राविधानित निरीक्षण पुस्तक, सुस्पष्ट आख्या के साथ उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

नोटः–इस संबंध में वांछित आख्या/स्पष्टीकरण अभी तक अप्राप्त है।

पत्र संख्या 69/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 18.11.15

10. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

नगर निगम में कुल कितने हल्के वाहन विभागीय एवं अनुबन्ध के आधार पर (किराये पर) लेकर अधिकारियों को आवंटित कराये गये हैं। उक्त अधिकारियों की सूची (पदनाम सहित) वाहन अर्हता से सम्बन्धित नियमों/शासनादेशों की प्रति सहित आवन्टन सम्बन्धी मूल पत्रावली कृपया अविलम्ब सम्परीक्षा में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में आडिट विभाग के पत्र सं0 52/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 19.10.15 एवं पत्र सं0 63/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 29.10.15 पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं।

नोटः– आवश्यक अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 75/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 26.11.15 (अनुस्मारक–1)

11. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

प्रभारी अधिकारी (वर्कशाप) ने पत्र सं0–डी/244/प्र0अ0(वर्क0)/15–16, दिनांक–30.11.15 द्वारा अवगत कराया है कि "किरायें की गाड़ियॉ वर्ष 2007–08 से नगर निगम में लगी हुयी है यह कार्य केयर टेकर विभाग एवं वर्कशाप के बीच देखा जाता रहा है। शासनादेश कार्मिक विभाग में संकलित रहते है।"

माननीय महापौर महोदय एवं नगर आयुक्त को छोडकर अन्य सभी अधिकारियों को जिन्हें हल्के वाहन विभागीय एवं अनुबन्धित वाहन (किराये पर लेकर) आवन्टित किये गये हैं, उक्त आवंटन की अर्हता से सम्बन्धित नियमो व शासनादेशों या अन्य कोई आदेश की प्रति सहित आवन्टन से सम्बन्धित मूल पत्रावली, प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश सहित अविलम्ब सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

नोटः– आवश्यक अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 78/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 05.12.15

12. जोनल अधिकारी जोन–6

पत्राँक डी/681/जेड.ओ.–6 दिनाँक 02.01.2016 में उल्लेख किया गया है कि जोन 6 में कार्यरत कर्मचारी, श्री सुधीर दत्त मिश्र, लेखा परीक्षक को सम्परीक्षा में सहयोग कर रहे थे एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध करा रहे थे। किन्तु श्री मिश्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा परीक्षण हेतु वांछित अभिलेखों में कुछ अभिलेखों को छोड़कर अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। जिसके संबंध में आपको कार्यालय मुख्य नगर लेखा परीक्षक द्वारा पत्र भी प्रेषित किये गये, किन्तु आज दिनाँक तक वांछित अभिलेख अप्राप्त है, जिनके अभाव में परीक्षण किया जाना संभव ही नहीं। संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्हें कभी भी जोन–6 कार्यालय से संबंधित स्टॉक बुक एवं इण्डेंट बुक उपलब्ध ही नहीं करायी गयी, जिससे श्री मयंक अवस्थी, नायब मोहर्रिर को आपके विभाग में पदस्थापना की अवधि में एवं अन्य वसूली में लगे कर्मचारियों को उपलब्ध करायी गयी एम.ए.सी. 2 बुकों की संख्या का पता चल सके। विभाग द्वारा श्री मयंक अवस्थी, नायब मोहर्रिर से संबंधित उपलब्ध करायी गयी एम.ए.सी. 2 बुकों के परीक्षण हेतु संबंधित अवधि के कुछ चालान एवं कैश बुक ही उपलब्ध करायी गयी, जिससे संबंधित एम.ए.सी. 2 बुकों का परीक्षण किया जा चुका है। शेष प्रश्नगत एम.ए.सी. 2 बुकों का परीक्षण आपके विभाग द्वारा आवश्यक अभिलेख (कैश बुक एवं चालान) एवं सहयोग उपलब्ध कराये जाने पर ही संभव है।

प्रश्नगत एम.ए.सी. 2 बुकों के परीक्षण हेतु उनसे संबंधित समस्त अभिलेख, कैश बुक एवं चालान, विभागीय इण्डेंट बुक एवं स्टॉक बुक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी, जिससे गबन की गयी धनराशि स्पष्ट हो सके।

नोटः–इस संबंध में अभी तक वांछित अभिलेख अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 80/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 08.12.15

13. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

कृपया आडिट विभाग के पत्र सं0 58/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 19.10.15, पत्र सं0 63/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 29.10.15, पत्र सं0 75/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 26.11.15 (अनुस्मारक–1) एवं पत्र सं0 78/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 05.12.15 द्वारा हल्के वाहनों से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आप को प्रेषित किये जा चुके हैं। किन्तु खेद है कि सम्बन्धित अभिलेख आडिट विभाग में अब तक प्रस्तुत नहीं किये गये।

नगर निगम में कुल कितने हल्के वाहन विभागीय एवं अनुबन्ध के आाधार पर (किराये पर) लेकर अधिकारियों को आवंटित कराये गये हैं। उक्त अधिकारियों की सूची (पदनाम सहित) वाहन अर्हता से सम्बन्धित नियमों/शासनादेशों की प्रति सहित आवन्टन सम्बन्धी मूल पत्रावली तथा प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश सहित अविलम्ब सम्परीक्षा में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

उपरोक्त से संबंधित समस्त अभिलेखों को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी।

नोटः–इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नही की गयी।

पत्र संख्या 86/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 26.12.15 (अनुस्मारक–2)

14. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

पत्रांक 86/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक–26.12.15 के द्वारा नगर निगम में कुल कितने हल्के वाहन विभागीय एवं अनुबन्ध के आधार पर/किराये पर लेकर अधिकारियों को आवंटित किये गये हैं, की सूची (पदनाम सहित) वाहन अर्हता से संबंधित नियमों/शासनादेशों की प्रति सहित आवंटन के संबंध में मूल पत्रावली परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उपरोक्त में से कोई भी वांछित सूचना/अभिलेख परीक्षण विभाग में उपलब्ध नहीं कराया गया।

परीक्षण विभाग में पूर्व में किये गये परीक्षण के क्रम में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि नगर आयुक्त के आदेश संख्या–630/3/प, दिनाँक 20.9.14 द्वारा एक 3 सदस्यीय जॉच कमेटी का गठन किया गया था, उक्त कमेटी को मुख्यतः 2 बिन्दु पर जांच करनी थी –

1. सम्बन्धित ऐजेन्सी द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जा रहे बिलों में रेट/दरों का बार–बार पुनः निर्धारण किया जा रहा है ऐसा किन कारणो से हो रहा है? तथा इस प्रक्रिया से संबंधित ऐजेंसी को अनुचित लाभ तो नही हो रहा है ?
2. लगाये गये वाहन की संख्या भी ज्यादा है। अतः वाहनो की आवश्यकता का पुर्न आकलन कर लिया जाय।

उक्त कमेटी ने उत्तर प्रदेश नगर निगम सेवा आज्ञा–1963 के अनुसार वाहन भत्ता प्राप्त करने योग्य अधिकारियों में उप नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अतिरिक्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सा, नगर अभियन्ता एवं यॉत्रिक अभियन्ता और अधिशाषी अभियन्ता शामिल है। उक्त कमेटी की जॉच आख्या से स्पष्ट है कि सरकारी गाडियों की अनुमन्यता एवं उनके रखरखाव आदि से संबंधित नीति निर्धारण शासनादेश दिनांक–19 मार्च 1997 (छायाप्रति संलग्न) में वेतनमान ₹ 5900–6700 (वर्तमान में वेतन बैण्ड ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10000) को राजकीय वाहन अनुमन्य हैं, और वेतनमान ₹ 3700–5000 या उससे अधिक (वर्तमान में वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600) के हर 4 अधिकारियों पर एक राजकीय वाहन अनुमन्य है व फील्ड स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य की प्रकृति को देखते हुए राजकीय वाहन अनुमन्य है।

उक्त तीन सदस्यीय जांच समिति की जांच आख्या को मुख्य नगर लेखा परीक्षक एवं अपर नगर आयुक्त, प्रथम ने ही स्वीकृति प्रदान की जबकि मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी अंकित की गयी है कि " अंश 'क' पर दिये गये निष्कर्श से विधिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यह नगर निगम हित में नहीं होगा।" कमेटी द्वारा दी गयी आख्या को नजर अन्दाज कर मात्र मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त ने भुगतान का आदेश दे दिया।

भुगतान बिल दिनाँक 01.07.2015 से दिनाँक 15.07.2015 का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ है कि श्री ए0 पी0 सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, श्री बी0 के0 सिंह, उघान अधीक्षक श्री एम0 पी0 सिंह, उघान अधिकारी एवं विधि अधिकारी को भी वाहन उपलब्ध कराया गया है। उक्त अधिकारियो को किन शासनादेश/नियमों के तहत वाहन उपलब्ध कराया गया है, स्पष्ट किये जाने एवं इनकी गाडियो की आज तक प्रयोग की गयी सभी लॉग बुक और भुगतान किये गये सभी व्यय प्रमाणक परीक्षण विभाग में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

उल्लेख किये गये शासनादेश दिनांक–19 मार्च 1997 में ग्रेड वेतन ₹ 7600 के हर 4 अधिकारियों पर एक राजकीय वाहन अनुमन्य है, के अनुपालन हेतु नगर निगम स्तर पर क्या प्रयास किया गया, अभिलेखों सहित स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया।

पूल में लगाये गये वाहन की सभी लॉग बुकों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने कि अपेक्षा की गयी जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त वाहन का उपयोग किन अधिकारियों द्वारा कब–कब एवं किन उद्देशो से किया गया।

नोटः–इस संबंध में अभी तक वांछित आख्या/स्पष्टीकरण एवं अभिलेख अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 95/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 22.01.16

15. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 के नियम 89 के अन्तर्गत नगर निगम का मासिक लेखा, प्रत्येक मास के अन्त में लेखा अधिकारी द्वारा विवरण पत्र 'प्रपत्र ब' पर तैयार किये जाने व उस पर नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षर किये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त विवरण पत्र 'प्रपत्र ब' में नगर निगम की प्रगामी आय और व्यय दिखाये जायेंगे।

लेखा विभाग द्वारा माह अप्रैल 2015 से माह फरवरी 2016 के मासिक लेखे से सम्बन्धित विवरण पत्र 'प्रपत्र ब' की प्रति सम्परीक्षा विभाग को अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

उपरोक्त के संबंध में पूर्व में सम्परीक्षा विभाग द्वारा पत्राँक 11/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 05.05.2015, पत्राँक 26/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 11.06.2015 एवं पत्राँक 103/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 15.02.2016 प्रेषित किये जा चुके हैं, किन्तु खेद का विषय है कि आज दिनाँक 21.03.2016 तक उपरोक्त उल्लिखित अवधि के मासिक लेखों की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध नहीं करायी गयी।

नगर निगम कानपुर के माह अप्रैल 2015 से माह फरवरी 2016 के मासिक लेखों (उपरोक्त नियम 89 में उल्लिखित विवरण पत्र 'प्रपत्र ब' के अनुसार) की प्रति मुख्य नगर लेखा परीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी।

नोटः–वांछित अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 91/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 11.01.16

16. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

विषयः– श्रीमती शकुन्तला ओझा, नायब मोहर्रिर के नगर निगम कानुपर मोतीझील स्थित आफीसर्स फ्लैट सं0 बी/2 में अनियमित रूप से निवास करने के फलस्वरूप नगर निगम को हो रही आर्थिक क्षति की वसूली के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक निर्गत विशेष आपत्ति सं0 2/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 10.09.15, सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रेषित सूचना व श्रीमती शकुन्तला ओझा, नायब मोहर्रिर की व्यक्तिगत पत्रावली के परीक्षण के उपरान्त निर्गत की गयी है। विशेष आपत्ति नियमानुसार फ्लैट आवंटित न किये जाने व मकान किराये भत्ते की वसूली न किये जाने से संबंधित है। लगभग 5 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी उक्त के संदर्भ में की गयी कार्यवाही से सम्परीक्षा विभाग को अवगत नहीं कराया गया है। विशेष आपत्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नियमानुसार कार्यवाही न होने के कारण नगर निगम को निरन्तर आर्थिक क्षति हो रही है। श्रीमती शकुन्तला ओझा, नायब मोहर्रिर के पति स्व0 सुधीर कुमार ओझा, सहायक अभियन्ता (वि0/यॉ0) की मृत्यु सेवाकाल में दिनाँक 02.01.2011 को हो गयी थी। यदि समान पदधारक (ग्रेड पे ₹ 5400) को उपरोक्त फ्लैट आवंटित किया जाता तो प्रतिमाह मकान किराया भत्ता ₹ 3150 की दर से माह फरवरी 2011 से माह फरवरी 2016 तक (61 माह) कुल ₹ 192150.00 का भुगतान नगर निगम को न करना पड़ता, साथ ही निर्धारित किराया भी प्राप्त होता। स्पष्ट है कि समयान्तर्गत नियमानुकूल कार्यवाही न किये जाने के कारण नगर निगम को हो रही आर्थिक क्षति में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

उपरोक्त विशेष आपत्ति के क्रम में की गयी कार्यवाही से तत्काल अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया, तथा साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि अन्यथा की स्थिति में उ0प्र0 नगर निगम सरचार्ज रूल्स 1966 के नियम 3 के अन्तर्गत, वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी होने के कारण उपरोक्त प्रकरण में नगर निगम को हुयी आर्थिक क्षति की वसूली प्रभारी अपर नगर आयुक्त "प्रथम" से किये जाने के संबंध में प्रकरण शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा।

नोटः–इस संबंध में स्थानीय स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। पत्र संख्या 15/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 16.05.16 के द्वारा सचिव महोदय नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को उत्तर प्रदेश नगर निगम सरचार्ज रूल्स 1966 के नियम 3 के तहत धनराशि ₹ 198450.00 (₹ एक लाख अट्ठानबे हजार चार सौ पचास मात्र) व मानक किराये के दुरूपयोग की वसूली/प्रतिपूर्ति संबंधित अवधि में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति के पद पर पदस्थ रहे अधिकारियों व वर्तमान में पदस्थ श्री विनोद कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त से कराये जाने हेतु प्रकरण अग्रसारित किया जा चुका है।

पत्र संख्या 108/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 23.02.16

17. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी

कानपुर नगर निगम के नियमित कर्मचारियों पर लागू 'कानपुर नगर महापालिका कर्मचारियों के निवृत्ति वेतन तथा सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1962 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन विनियमों के विनियम 11 में निवृत्ति वेतन निधि तथा अंशदान प्राविधानित है। विनियम 11 निम्न प्रकार है :–

"11. इन विनियमों के अंतर्गत सेवा निवृत्ति वेतन (पेंशन) के अधिकारी होने वाले प्रत्येक अधिकारी के लिए मुख्य नगर अधिकारी (नगर आयुक्त) फाइनेन्शियल हैंड बुक वालूम 2 के भाग 2 से 4 के नियम संख्या 116 के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय के आदेश सं0 1 में दी हुइ तालिका के आाधार पर प्रत्येक आर्थिक वर्ष के लिए देय अंशदान उसकी उस वर्ष के पूर्व वाले मार्च मास तक के सेवा काल के अनुसार निकालेंगे। इस प्रकार इन विनियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी अधिकारियों के लिए जो मासिक अंशदान का धन होगा उसके बराबर अंशदान प्रत्येक मास उस निधि से, जिससे उनका वेतन देय हो, निकाल कर निवृत्ति वेतन निधि में जमा करेंगें। इस कार्य के लिए मुख्य नगर अधिकारी सभी कर्मचारियों को प्रथम, द्वितीय तथा अप्रधान सेवाओं में विभाजित करेंगे। इस निधि का धन डाकखाने की सेविंग बैंक में महापालिका निवृत्ति वेतन निधि के नाम से हिसाब खोलकर प्रत्येक मास की चार तारीख के पूर्व जमा किया जायेगा। भुगतान की सुविधा के लिए स्टेट बैंक आफ इंडिया में भी करेन्ट एकाउन्ट रखा जा सकता है। यदि किसी समय उपरोक्त खातों में सेवा निवृत्ति वेतन अथवा उपादान के भुगतान के लिये आवश्यकतानुसार धन न हो तो मुख्य नगर अधिकारी महापालिका निधि से आवश्यक अग्रिम देंगे और बाद में उसे निवृत्ति वेतन निधि से निकाल कर महापालिका निधि में जमा कर देंगे। मुख्य नगर अधिकारी डाकखानें में जमा किये गये धन को कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति से सरकारी ऋण पत्रों में विनियोजित कर सकेंगे, किन्तु एक मास में भुगतान होने वाले धन के बराबर का धन सदैव सेविंग बैंक अथवा स्टेट बैंक में रखेंगे।"

उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्टीकरण मांगा गया कि किस डाकखाने अथवा भारतीय स्टेट बैंक की किस शाखा में निवृत्ति वेतन निधि (पेंशन फण्ड) का खाता खोला गया है तथा क्या नियमित रूप से इन विनयमों से अच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों का नियमानुसार निर्धारित पेंशन अंशदान कानपुर नगर निगम की वेतन निधि से निकाल कर पेशन निधि में जमा किया जाता है अथवा नहीं ? साथ ही अभिलेखों सहित यह भी स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी कि इस खातें में वित्तीय वर्ष 2015–16 का प्रारम्भिक अवशेष क्या था ?

पत्र संख्या 110/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 25.02.16

नोटः–वांछित आख्या/स्पष्टीकरण एवं अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

18. जोनल अभियन्ता जोन–1

विषयः– जोन–1 के अन्तर्गत नानाराव पार्क स्थित स्वीमिंग पूल हेतु सक्षन सेट, डोजिंग पम्प तथा रेसिंग लेन रोप्स की आपूर्ति के संबंध में।

उपरोक्त विषयक पत्रावली संख्या 142(अ)/एए–1/2014 की सम्परीक्षा पर पाया गया किः–

1. उपरोक्त उल्लिखित सामग्री की आपूर्ति का आगणन ₹ 7,60,722.00 का बनाया गया। आगणन किस आधार पर तैयार किया गया, पत्रावली से स्पष्ट नहीं हो सका।

2. एक्वा इन्वायरोटेक द्वारा मात्र ₹ 4,93,620.00 का कोटेशन दिया गया, जो कि अन्य एजेन्सियों द्वारा दिये गये कोटेशन धनांक से बहुत कम व आगणन धनांक से लगभग 35 प्रतिशत कम है। आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में व आपूर्ति निर्धारित समय में प्राप्त किये जाने के संबंध में स्पष्ट प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न नहीं है।

3. सामग्री की आपूर्ति हेतु सूचना पत्र डी/592/अ0अ0–1/14–15 दिनाँक 09.01.2015 को प्रेषित किया गया। सूचना पत्र में 10 दिन में अनुबन्ध के लिए, आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया व एजेन्सी ने पत्र दिनाँक 20.02.2015 द्वारा वांछित औपचारिकता पूर्ण की। अनुबन्ध किस दिनाँक को किया गया स्पष्ट नहीं हो सका।

4. कार्यादेश पत्राँक डी/58ए/अ0अ0–1/15–16 दिनाँक 28.08.2015 को निर्गत किया गया, जो कि कोटेशन की स्वीकृति दिनाँक से लगभग 8 माह बाद किया गया (जब तैराकी का समय व्यतीत हो गया)। अनुबन्ध की प्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं है।

5. कार्यादेश में फ्लूड लगा कर कार्यादेश संख्या व दिनाँक में परिवर्तन किया गया है। आपूर्ति की दिनाँक को भी फ्लूड लगा कर मिटाया गया।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में तथ्यात्मक स्पष्टीकरण मय वांछित अभिलेखों सहित प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी।

नोटः–वांछित अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 111/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 25.02.16

19. जोनल अधिकारी जोन–6

जोन 6 में स्थित आइ टी आई से मरियमपुर चौराहे जाने वाले मार्ग पर स्थित पालीवाल लैब्स, के0एम0सी हास्पिटल, रंगोली गेस्ट हाउस, हवेली रेस्टोरेन्ट, बाटा शोरूम, एल जी शोरूम, पण्डित रेस्टोरेन्ट, चरण पादुका अपार्टमेण्ट, बैंक आफ इण्डिया, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अवध इंन्जीनियरिंग, सैमसन शोरूम, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सोनी शोरूम, भवन संख्या 117/433, मरियमपुर चौराहे से कोकाकोला चौराहा जाने वाले मार्ग पर स्थित गोल्डेन पैलेस, रतन स्कवायर, 120/2 में कमला नगर कैम्पस में स्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं विद्यालयों से संबंधित, योगी स्वीट्स, फाक्सवैगन सर्विस सेन्टर, दिल्ली इलेट्रिकल्स, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, दिल्ली दरबार, गुरूनानक मेडिकल स्टोर, जोनल कार्यालय के सामने स्थित छाबड़ा गेस्ट हाउस, अमर गेस्ट हाउस, पाण्डव गेस्ट हाउस मरियमपुर से विजय नगर जाने वाले मार्ग पर भाग्यराज गेस्ट हाउस, रघुशीला गेस्ट हाउस, एस्सेल पैलेस, तुलसी भवन, सीएल मेमोरियल हास्पिटल, चन्देल मार्केट, एक्सिस बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, दिल्ली इलेट्रिकल्स आदि के व्यवसायिक कर निर्धारण से संबंधित पत्रावलियों के साथ ही जोन 6 में स्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों से संबंधित व्यवसायिक कर निर्धारण पत्रावलियाँ, जिनका विगत 5 वर्षों में व्यवसायिक कर निर्धारित किया गया है, उनसे सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियाँ एवं सम्बन्धित अभिलेख एवं व्यवसायिक भवनों की सूची सम्परीक्षा हेतु, सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी।

नोटः–वांछित अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 113/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 03.03.16

20. जोनल अधिकारी जोन–4

जोन 4 में स्थित विशाल मेगा स्टोर, होटल कान्हा कॉन्टिनेन्टल, कान्हा गैलेक्सी, कान्हा इण्टरनेशनल, होटल ब्लिस, ज्ञान वेजिटेरियन, आईसीआईसीआई बैंक (आर के नगर), नरूला रेस्टोरेण्ट, रिनाल्ट शोरूम, फोर्ड शोरूम, रायल क्लिफ, हैलट हॉस्पिटल, जेके कैंसर, टीबी एवं कार्डियोलाजी के आस पास व सामने स्थित समस्त मेडिकल स्टोर, रामशिव हास्पिटल व अन्य क्लीनिक, पैथोलाजी एवं डाइग्नोसिस सेण्टर, रिजेन्सी सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल, मधुराज हास्पिटल एवं उसके पास खुल समस्त मेडिकल स्टोर, कानपुर विद्या मन्दिर के साथ संलग्न मार्केट आईसीआईसीआई बैंक (स्वरूप नगर), अनाइचा रेस्टोरेण्ट, सोलिटेयर रेस्टोरेण्ट, शर्मा हास्पिटल आदि के व्यवसायिक कर निर्धारण से संबंधित पत्रावलियों के साथ ही जोन 4 में स्थित समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों से संबंधित व्यवसायिक कर निर्धारण पत्रावलियाँ, जिनका

विगत 5 वर्षों में व्यवसायिक कर निर्धारित किया गया है, उनसे सम्बन्धित कर निर्धारण पत्रावलियाँ एवं सम्बन्धित अभिलेख एवं व्यवसायिक भवनों की सूची सम्परीक्षा हेतु, सम्परीक्षा विभाग में उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी।

नोटः—वांछित अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 114/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 03.03.16

21. अपर नगर आयुक्त "प्रथम"

अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 86/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 26.12.15 एवं पत्र संख्या 95/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 22.01.2016 द्वारा नगर निगम में कुल कितने हल्के वाहन विभागीय एवं अनुबन्ध के आधार पर/किराये पर लेकर अधिकारियों को आवंटित किये गये हैं, अधिकारियों की सूची (पदनाम सहित) एवं वाहन अर्हता से संबंधित नियमों/शासनादेशों की प्रति सहित आवंटन से संबंधित मूल पत्रावली परीक्षण विभाग में परीक्षण हेतु उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, साथ ही उपरोक्त पत्र दिनाँक 22.01.2016 के माध्यम से श्री ए.पी. सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी, श्री बी0 के0 सिंह, उद्यान अधीक्षक, श्री एम0 पी0 सिंह, उद्यान अधिकारी एवं विधि अधिकारी के संबंध में यह जानकारी मांगी गयी थी कि किन शासनादेशों/नियमों के तहत इन अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराये गये हैं एवं इनके वाहनों की आज तक प्रयोग की गयी सभी लॉग बुक और भुगतान किये गये सभी व्यय प्रमाणक परीक्षण विभाग में उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस पत्र द्वारा यह भी अभिलेखों सहित स्पष्टीकरण माँगा गया था कि शासनादेश दिनाँक 19 मार्च 1997 में ग्रेड वेतन ₹ 7600 के हर 4 अधिकारियों पर एक राजकीय वाहन अनुमन्य है, के अनुपालन हेतु नगर निगम स्तर पर क्या प्रयास किया गया तथा पूल में लगाये गये वाहन की सभी लाग बुक को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करने एवं वाहन का उपयोग किन अधिकारियों द्वारा तथा किन—किन उद्देश्यों के लिए किया गया, से संबंधित जानकारी मांगी गयी थी।

अभी तक उपरोक्त पत्रों द्वारा मांगी गयी जानकारी एवं आवश्यक तथ्यात्मक स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस अनुस्मारक पत्र के माध्यम से नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 144(1) के तहत अपेक्षा की गयी कि उपरोक्त पत्रों द्वारा मांगी गयी समस्त जानकारी एवं आवश्यक स्पष्टीकरण मय अभिलेखों के अधोहस्ताक्षरी को परीक्षण हेतु उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया तथा यह भी अवगत कराया गया कि अन्यथा कि स्थिति में अनुस्मारक पत्र के साथ संलग्न मे0 ज्योती ट्रैवल्स, 292 बी मझरिया रोड कानपुर के दिनाँक 01.07.2015 से 15.07.2015 के बिल को आधार मानते हुये वित्तीय वर्ष 2009—10 से अब तक हुये प्रश्नगत अनियमित भुगतान ₹ 8906820.00 की वसूली संबंधित नगर आयुक्त एवं मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी से कराने हेतु प्रकरण को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिभार नियमावली 1966 के तहत शासन को संदर्भित कर दिया जायेगा।

नोटः—वांछित आख्या/स्पष्टीकरण एवं अभिलेख अभी तक अप्राप्त हैं।

पत्र संख्या 126/डी/मु.न.ले.प. दिनाँक 17.03.16 (अनुस्मारक—1)

22. लेखा अधिकारी (पेंशन)

नगर निगम द्वारा संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षक/शिक्षिकाओं के पेंशन एवं अन्य अवशेष देयकों के भुगतान के संदर्भ में शासनादेश संख्या 1300(1)/नौ—7—12—191रिट/12, दिनाँक 22 जून 2012 व सम्परीक्षा विभाग की टिप्पणी दिनाँक 25.06.2015 के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा शासन को पत्र दिनाँक 03.10.2015 प्रेषित कर अब तक कार्यरत शिक्षकों एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिये जा रहे वेतन/पेंशन की भांति दिनाँक 30.06.2015 को सेवानिवृत्त हुये शिक्षकों को भी पेंशन भुगतान की अनुमति प्रदान करने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु शासन से उक्त के संबंध में कोई भी सूचना/अनुमति प्राप्त नही हुयी है, जबकि शासनादेशानुसार दिनाँक 29.03.2007 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन/पा0 पेंशन का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना चाहिये।

अतः ऐसी स्थिति में नगर आयुक्त के आदेश को दृष्टिगत रखते हुये लेखा अधिकारी (पेंशन) से स्वस्तर से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी।

भाग–2

पेंशन

2.1 कुल निस्तारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण :–

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक कुल 353 पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया गया।

2.2 नगर निगम के कर्मचारियों को अधिक किये गये भुगतान से संबंधित प्रकरण :–

पेंशन पत्रावलियों के निस्तारण के समय यह पाया गया कि कर्मचारियों का वेतन अशुद्ध निर्धारण किये जाने, अनुमन्यता से अधिक अवकाश स्वीकृत किये जाने, चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान एवं वित्तीय स्तरोन्नयन आदि लाभ समय से पूर्व स्वीकृत कर दिये जाने, ऋण अदायगी न किये जाने से जो अधिक भुगतान विभिन्न कर्मचारियों को प्राप्त हो गया उसकी कटौती उपादान से की गई। उपादान से की गयी कटौती का विवरण निम्नानुसार है:–

उपादान से कटौती:–

क्रम	कर्मचारी का नाम	विभाग का नाम	सेवानिवृत्ति/मृत्यु दिनाँक	उपादान से की गयी कटौती।	कटौती का मद/कारण
1	श्री राजेन्द्र प्रसाद दीक्षित	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)	30/4/15	2348	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
2	श्रीमती छिद्दन	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	422	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
3	श्रीमती राम दुलारी	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	1218	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
4	श्रीमती शिवकली	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	180	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
5	श्री प्रकाश	स्वास्थ्य विभाग	30/6/13	291618	नगर आयुक्त के आदेश के क्रम में
6	श्रीमती रामरती	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	1218	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
7	स्व0 कंचन शुक्ला	जोनल अधिकारी जोन–1	23/9/13	1079	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
8	श्री मुन्नी लाल	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	194567	सोसायटी ऋण की कटौती
9	स्व0 सन्तोष कुमार	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)	3/6/14	63892	सोसायटी ऋण की कटौती
10	श्रीमती पुष्पांजला शुक्ला	सामान्य प्रशासन	31/7/11	196	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
11	श्री गोरेलाल	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	22444	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
12	श्रीमती मुन्नी	स्वास्थ्य विभाग	30/4/15	8056	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
13	स्व0 सुबराती	स्वास्थ्य विभाग	8/5/14	940	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
14	स्व0 अशोक	स्वास्थ्य विभाग	5/11/13	954	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
15	स्व0 रोशन	अधि0 अभि0 जोन–5	15/11/14	94977	सोसायटी ऋण की कटौती
16	स्व0 राम आसरे	स्वास्थ्य विभाग	23/4/13	123031	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
17	स्व0 भगवती	स्वास्थ्य विभाग	28/12/12	182788	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
18	स्व0 मूल चन्द्र	स्वास्थ्य विभाग	29/8/12	293313	दोहरे आवास भुगतान, सोसायटी ऋण, व अधिक वेतन भुगतान की कटौती
19	स्व0 राजेश	वर्कशाप	12/11/13	188578	सोसायटी ऋण की कटौती
20	श्री प्रकाश	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)	18/7/13	191867	सोसायटी ऋण की कटौती
21	स्व0 छोटे	स्वास्थ्य विभाग	13/1/13	5641	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
22	श्री ओम प्रकाश	स्वास्थ्य विभाग	31/5/15	483	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
23	श्रीमती चन्दो	स्वास्थ्य विभाग	27/2/13	12271	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
24	स्व0 रामजन	स्वास्थ्य विभाग	22/5/13	180889	सोसायटी ऋण की कटौती
25	श्रीमती सुशीला	स्वास्थ्य विभाग	31/5/15	507	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
26	स्व0 मैकू	वर्कशाप	31/5/15	188274	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
27	श्रीमती मीरा	स्वास्थ्य विभाग	31/5/15	1239	अधिक वेतन भुगतान की कटौती

28	श्री अजीत कुमार बाजपेई	कार्मिक विभाग	31/5/15	20807	सोसायटी ऋण की कटौती
29	स्व0 जवाहा	स्वास्थ्य विभाग	17/12/13	1710	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
30	स्व श्रीमती मीरा जुलियस	परिवार कल्याण विभाग	30/4/11	287745	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
31	श्रीमती राम दुलारी	स्वास्थ्य विभाग	31/5/15	2820	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
32	स्व0 विनोद कुमार अग्निहोत्री	जोनल अधिकारी जोन–3	21/12/14	80516	भवन अग्रिम व अधिक वेतन भुगतान की कटौती
33	स्व0 अशोक	स्वास्थ्य विभाग	27/7/13	703	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
34	श्री राम प्रताप	वर्कशाप	30/6/15	85735	भवन अग्रिम की कटौती
35	श्री रमेश	स्वास्थ्य विभाग	31/1/15	238833	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
36	श्री अजयपाल	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	193127	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
37	श्रीमती राम दुलारी	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	72165	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
38	श्री मिहीलाल	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	1260	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
39	श्रीमती दुर्गिया	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	2424	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
40	श्री राम	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	180	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
41	स्व0 उत्तम दास	स्वास्थ्य विभाग	14/1/13	600	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
42	श्री शिव गोपाल	मार्ग प्रकाश विभाग	30/6/15	21016	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
43	श्री सुनहरी लाल	उद्यान विभाग	30/6/15	7910	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
44	श्री भगवानदीन कुरील	न0न0म0इ0का0 सिविल लाइंस	30/6/15	161184	दोहरे आवास भुगतान, सोसायटी ऋण, व अधिक वेतन भुगतान की कटौती
45	श्री छोटेलाल	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	105122	भवन अग्रिम की कटौती
46	श्री चन्द्रिका प्रसाद शुक्ला	अधि0 अभि0 जोन–3	30/6/15	27254	भवन अग्रिम, वाहन भत्ता एवं अधिक वेतन भुगतान की कटौती,
47	मो0 आजाद	मार्ग प्रकाश विभाग	30/6/15	192	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
48	रमेश चन्द्र शुक्ला	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	228290	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
49	श्री रामबक्स	मार्ग प्रकाश विभाग	30/6/15	101663	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
50	श्री सत्य नारायन मिश्रा	मुख्य अभियन्ता	30/6/15	2944	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
51	श्रीमती रामा	स्वास्थ्य विभाग	31/7/15	71001	दोहरे आवास भत्ते की कटौती
52	स्व0 ओम प्रकाश	अधि0 अभि0 जोन–4	23/12/14	60801	सोसायटी ऋण की कटौती
53	श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव	जोनल अधिकारी जोन–3	31/7/15	14708	अधिक चिकित्सा अवकाश उपभोग की कटोती
54	श्री दिनेश चन्द्र शुक्ला	जोनल अधिकारी जोन–5	31/7/15	1533	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
55	श्री महावीर	स्वास्थ्य विभाग	31/7/15	12248	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
56	श्री उमाकान्त शर्मा	जोनल अधिकारी जोन–2	31/7/15	32794	भवन अग्रिम की कटौती
57	श्री हरि प्रसाद	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)	31/7/15	1933	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
58	श्री अरूण कुमार रोहतगी	परिवार कल्याण विभाग	31/7/15	2251	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
59	श्री राघव राम	ए.एन.डी. कालेज	31/7/15	6690	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
60	श्रीमती शोभा	स्वास्थ्य विभाग	31/7/15	64045	दोहरे आवास भुगतान, सोसायटी ऋण, व अधिक वेतन भुगतान की कटौती
61	श्री राजेश शंकर त्रिवेदी	जोनल अधिकारी जोन–2	31/7/15	41970	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
62	श्रीमती कुसुम सक्सेना	जोनल अधिकारी जोन–4	31/7/15	132612	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
63	श्रीमती सुमित्रा	स्वास्थ्य विभाग	31/7/15	177175	अनियमित आवास किराये भत्ते व अधिक वेतन भुगतान की कटौती
64	श्री मोतीलाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)	31/5/15	124687	सोसायटी ऋण की कटौती
65	श्री विजय सिंह	जोनल अधिकारी जोन–6	31/8/15	4828	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
66	श्रीमती रामकली	स्वास्थ्य विभाग	30/06/15	1260	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
67	श्रीमती शान्ती	स्वास्थ्य विभाग	31/8/15	1281	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
68	श्री मो0 हासिम	मार्ग प्रकाश विभाग	31/8/15	4082	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
69	स्व0 रामफल	स्वास्थ्य विभाग	16/8/12	166762	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
70	स्व0 बाबूलाल	स्वास्थ्य विभाग	28/3/15	194871	सोसायटी ऋण की कटौती
71	स्व0 ओम प्रकाश	स्वास्थ्य विभाग	16/8/12	37326	अधिक वेतन भुगतान की कटौती

72	स्व0 ज्ञान चन्द्र	स्वास्थ्य विभाग	2/3/09	83736	सोसायटी ऋण की कटौती
73	श्रीमती कलावती	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	40716	दोहरे आवास किराये भत्ते एवं अधिक वेतन भुगतान की कटौती
74	श्री फिरोज आलम	स्वास्थ्य विभाग	30/9/15	9392	भवन अग्रिम की कटौती
75	स्व0 प्रेम	स्वास्थ्य विभाग	1/2/14	340	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
76	श्री राम सुमिरन	मार्ग प्रकाश विभाग	30/9/15	7634	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
77	श्री कैलाश	स्वास्थ्य विभाग	31/7/15	7127	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
78	स्व0 विशुना देवी	उद्यान विभाग	2/12/13	503	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
79	श्री छोटेलाल	स्वास्थ्य विभाग	30/6/15	83670	दोहरे मकान किराये भत्ते की कटौती
80	श्री नत्थूराम	मार्ग प्रकाश विभाग	30/9/15	8921	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
81	श्री वसन्त	स्वास्थ्य विभाग	30/9/15	27744	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
82	स्व0 बब्लू	स्वास्थ्य विभाग	3/2/15	100204	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
83	श्रीमती मुन्नी	स्वास्थ्य विभाग	30/9/15	225596	अधिक हुये वेतन भुगतान, सोसायटी ऋण एवं भवन अग्रिम की कटौती
84	श्री नन्दलाल	स्वास्थ्य विभाग	30/9/15	245560	सोसायटी ऋण एवं भवन अग्रिम की कटौती
85	श्री प्रकाश श्रीवास्तव	स्वास्थ्य विभाग	31/10/15	80036	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
86	स्व0 मुन्ना	स्वास्थ्य विभाग	9/12/14	157109	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
87	स्व0 महेश	स्वास्थ्य विभाग	3/7/14	25858	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
88	श्रीमती श्यामा	स्वास्थ्य विभाग	30/11/15	34722	अधिक चिकित्सा अवकाश की कटौती
89	सै0 वसीम हुसैन	जोनल अधिकारी जोन–2	30/11/15	1104	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
90	श्री शिव लाल	कार्मिक विभाग	3/8/15	17375	सोसायटी ऋण की कटौती
91	स्व0 सुरेश	स्वास्थ्य विभाग	7/4/13	165025	सोसायटी ऋण की कटौती
92	श्रीमती बिन्दाजली	स्वास्थ्य विभाग	30/11/15	58470	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
93	श्रीमती शकुन्तला	स्वास्थ्य विभाग	30/11/15	117007	भवन अग्रिम एवं दोहरे आवास भत्ते की कटौती
94	श्रीमती शीला	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	3032	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
95	श्रीमती सुखरानी	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	5100	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
96	स्व0 ननकी	स्वास्थ्य विभाग	28/11/14	41255	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
97	श्रीमती प्रेमा	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	22355	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
98	श्री संतराम	मार्ग प्रकाश विभाग	31/12/16	9609	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
99	स्व0 दरगाह	जोनल अधिकारी जोन–2	6/7/15	54364	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
100	श्री दिलीप कुमार	स्वास्थ्य विभाग	31/12/15	196	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
101	श्री जगदीश	स्वास्थ्य विभाग	31/12/15	7040	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
102	श्री राजकुमार सिंह	कैटिल कैचिंग	31/12/15	46462	सोसायटी ऋण की कटौती
103	स्व0 कन्हैया कुमार कटियार	जोनल अभियन्ता जोन–2	22/10/14	12447	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
104	स्व छेदीलाल	स्वास्थ्य विभाग	2/10/15	2624ण्85	वाहन अग्रिम, 15 ली0 डीजल की कटौती
105	स्व0 सुन्दर सिंह	चिकित्सा विभाग	03/08/81	12305	दोहरे आवास किराये भत्ते की कटौती
106	स्व अशोक कुमार	स्वास्थ्य विभाग	27/2/14	74055	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
107	श्रीमती मैकी	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	16215	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
108	श्रीमती शकुन्तला	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	90310	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
109	श्रीमती ननकी	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	81510	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
110	स्व0 पार्वती	स्वास्थ्य विभाग	8/12/14	340	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
111	श्रीमती रामरती	स्वास्थ्य विभाग	31/1/16	57089	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
112	श्रीमती ज्ञानवती	लेखा विभाग	31/1/16	340	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
113	स्व0 ओम प्रकाश	स्वास्थ्य विभाग	7/11/14	925	अधिक चिकित्सा अवकाश की कटौती
114	स्व0 अनिल	स्वास्थ्य विभाग	2/12/14	342	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
115	श्रीमती हल्की	स्वास्थ्य विभाग	29/2/16	180	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
116	स्व0 साहेबे आलम	विज्ञापन विभाग	11/12/14	600	अधिक वेतन भुगतान की कटौती

117	श्रीमती फूलमती	स्वास्थ्य विभाग	30/6/12	4943	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं चिकित्सा अवकाश की कटौती
118	स्व0 सन्त कुमार जायसवाल	जोन–4	16/8/15	85741	सोसायटी ऋण की कटौती
119	श्री लल्लू	स्वास्थ्य विभाग	31/3/15	24919	अधिक कार्य लिए जाने के कारण हुये अधिक वेतन भुगतान की कटौती
120	श्री राम किशोर	जोनल अधिकारी जोन–5	29/2/16	4935	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
121	श्री हरीश सोनकर	स्वास्थ्य विभाग	31/12/15	1681	वाहन अग्रिम की कटौती
122	स्व0 श्री चन्द्र	स्वास्थ्य विभाग	22/6/15	1056	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
123	श्री कैलाश	वर्कशाप	29/2/16	189052	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
124	श्रीमती कल्लो	स्वास्थ्य विभाग	29/2/16	20794	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
125	स्व अर्जुन	स्वास्थ्य विभाग	1/8/14	1281	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
126	स्व0 शिवशंकर	अधि0 अभि0 जोन–5	13/12/15	212400	सोसायटी ऋण की कटौती
127	श्री साहब प्रसाद	उद्यान	29/2/16	20531	भवन अग्रिम की कटौती मय ब्याज
128	श्रीमती शिवरानी	स्वास्थ्य विभाग	29/2/16	1086	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
129	स्व0 जगरानी	स्वास्थ्य विभाग	18/12/14	170500	अधिक चिकित्सा अवकाश, दोहरा आवास भत्ता एवं अधिक वेतन भुगतान की कटौती
130	श्री राज मुनि	चिकित्सा विभाग	29/2/16	132957	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
131	श्री छोटे लाल	चिकित्सा विभाग	30/11/15	40950	अधिक चिकित्सा अवकाश एवं सोसायटी ऋण की कटौती
132	श्री राजा राम	अधि0 अभि0 जोन–1	30/11/15	60289	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
133	श्री सुखराम	स्वास्थ्य विभाग	31/3/16	6544	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
134	स्व0 रजोल	मार्ग प्रकाश विभाग	5/1/16	102111	सोसायटी ऋण की कटौती
135	श्री मुन्नीलाल	स्वास्थ्य विभाग	31/3/16	671	अधिक चिकित्सा अवकाश की कटौती
136	श्रीमती रामकली	स्वास्थ्य विभाग	31/3/16	44960	दोहरे आवास भत्ता की कटौती
137	श्रीमती श्यामा	स्वास्थ्य विभाग	31/3/16	206386	सोसायटी ऋण की कटौती
138	श्री शिव कुमार	मार्ग प्रकाश विभाग	31/3/16	7586	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
139	श्री गंगादीन	मार्ग प्रकाश विभाग	31/3/16	8703	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
140	श्री बांके सिंह	मार्ग प्रकाश विभाग	31/3/16	7586	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
141	श्री सुखलाल	स्वास्थ्य विभाग	31/3/16	8607	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
142	स्व0 श्रीमती रामा देवी	चिकित्सा विभाग	9/8/11	82446	अधिक हुये वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
143	स्व0 लक्ष्मण	स्वास्थ्य विभाग	2/12/15	472	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
144	श्री तारा चन्द्र	स्वास्थ्य विभाग	31/3/16	147379	भवन अग्रिम एवं अधिक वेतन भुगतान की कटौती
145	श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय	मार्ग प्रकाश विभाग	31/3/16	144088	विभाग द्वारा अंकित सामान, अधिक वेतन भुगतान एवं सोसायटी ऋण की कटौती
146	स्व0 बबलू	जोनल अधिकारी जोन–4	29/7/15	2235	अधिक वेतन भुगतान की कटौती
उपादान से कटौती की गयी कुल धनराशि				₹ 8631481.85 (₹ छियासी लाख इकत्तीस हजार चार सौ इक्यासी एवं पैसे पच्चासी मात्र)	

2.3 लेखा परीक्षा टिप्पणीः–

1. सम्परीक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में उठायी गयी साधारण आपत्तियों एवं विशेष आपत्तियों में से अभी तक कुल 30 साधारण आपत्तियाँ एवं 08 विशेष आपत्तियाँ अनिस्तारित हैं। मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा अनिस्तारित साधारण एवं विशेष आपत्तियों के निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारीगणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाना अपेक्षित है।
2. नगर निगम के लेखों को उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयार करना एवं सम्परीक्षित कराना आवश्यक है। परन्तु यह खेद का विषय है कि बार–बार लेखा अधिकारी एवं नगर आयुक्त के संज्ञान में लाने के बावजूद नगर निगम के लेखों को उपरोक्त लेखा नियमावली के अनुसार तैयार नहीं किया जाता है। लेखा नियमावली के प्रपत्र संख्या–1 में सामान्य रोकड़बही तैयार किया जाना एवं उसे प्रतिदिन समस्त भुगतान प्रमाणकों के साथ आडिट हेतु मुख्य नगर लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लेखा नियमावली के नियम–75 के अनुसार अनिवार्य है, परन्तु लेखा अधिकारी द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है एवं सामान्य रोकड़बही नियमानुसार तैयार नहीं की जा रही है। उक्त के संबंध में लेखा विभाग के पत्र संख्या 88/सी.ए.ओ./2015–16 दिनाँक 10.06.2015 से यह प्रतीत होता है कि सामान्य रोकड़बही नियमानुसार तैयार नहीं की जा रही है। इस संबंध में मा0 कार्यकारिणी समिति का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है कि तत्काल लेखा अधिकारी को नगर निगम लेखा नियमावली 1960 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार तैयार करने एवं सम्परीक्षा कराने हेतु आदेशित किया जाये।
3. नगर निगम कर्मचारियों के पेंशन एवं उपादान प्रकरण, मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा बनाये गये कानपुर नगर निगम निवृत्ति वेतन एवं सामान्य भविष्य निधि विनियम 1962 में दी गयी व्यवस्था जैसा कि अन्तिम रूप से संशोधन संख्या 1708 लेखा/माह–पेंशन–87–88 दिनाँक 11 जनवरी 1988 गजट में प्रकाशन दिनाँक 13 अगस्त 1988, द्वारा संशोधित है, के अन्तर्गत निस्तारित किये जाते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पेंशन मामलों के प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब परिवर्जन हेतु नियमावली 1995 बनायी गयी थी, जिसके अनुसार कार्य किये जाने हेतु एक समय सारिणी दी गयी है। जिसका अनुपालन कानपुर नगर निगम के विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों में नहीं किया जाता है, जिससे कि सम्परीक्षा विभाग पर अनावश्यक दबाव रहता है। कभी–कभी सेवानिवृत्ति तिथि के एक या दो दिन पूर्व लेखा विभाग द्वारा पेंशन प्रकरण निस्तारण हेतु सम्परीक्षा विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। जो कि घोर आपत्तिजनक है। मा0 कार्यकारिणी समिति से नगर आयुक्त के माध्यम से उपरोक्त नियमावली के अनुसार पेंशन प्रकरण पर कार्यवाही हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को आदेशित किया जाना अपेक्षित है।
4. पूरे वित्तीय वर्ष में सामान्य रोकड़बही आडिट विभाग में प्रस्तुत न किये जाने के कारण कानपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति के विषय में टिप्पणी किया जाना संभव नहीं हो सका है।

उपसंहार

यद्यपि लेखा नियम–76 में स्पष्ट प्राविधान है कि आपत्ति पाने के 15 दिन के अन्दर विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर से उत्तर भेजा जाना चाहिये, परन्तु एक प्रतिशत आपत्तियों का भी उत्तर 15 दिनों के अन्दर नहीं भेजा जाता। परिणामस्वरूप जैसे–जैसे आपत्तियाँ पुरानी पड़ती जाती हैं वैसे–वैसे सम्बन्धित अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराने में अथवा न्यूनताओं की पूर्ति किये जाने में कठिनाई बढ़ती जाती है और इस प्रकार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपत्तियों का निस्तारण ही असम्भव हो जाये।

अतः लेखा नियमावली के नियम 76 का अनुपालन किस प्रकार किया जाय इस ओर नगर निगम अधिकारियों तथा राज्य सरकार को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जो कर्मचारी बिना आपत्तियों का उत्तर दिये स्थानान्तरित अथवा सेवा–निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही भी नहीं हो पाती है। अतः इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

इन आपत्तियों का एक बड़ा अंश सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से सम्बन्धित है। नगर निगम अधिनियम की धारा 144(1) में स्पष्ट प्राविधानित है कि धारा 142 व 143 के अधीन लेखों की जाँच एवं सम्परीक्षा के प्रयोजनों के लिये मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा धारा 143 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों को नगर निगम के समस्त लेखे तथा उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेख और पत्र व्यवहार प्राप्त होंगे तथा नगर आयुक्त उक्त लेखा परीक्षकों अथवा कार्यकारिणी समिति को प्राप्तियों तथा व्यय से सम्बन्धित ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण, जिसे वे माँगें, तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

इन प्राविधानों के होते हुये भी बहुत से अभिलेख कर्मचारियों/विभागीय अधिकारियों द्वारा जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, विशेषकर वे अभिलेख जिनमें अनियमितताओं के अधिक होने की प्रबल सम्भावना होती है। ऐसे अभिलेखों को सम्परीक्षा में प्रस्तुत ही नहीं किया जाता है। इस सम्बन्ध में बार–बार ध्यान–पत्रों, अनुस्मारकों, विभागीय पत्रों द्वारा विभागीय अधिकारियों तथा प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, परन्तु न तो अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान दिया गया और न ही उनके द्वारा सम्परीक्षा हेतु सम्बन्धित अभिलेख ही उपलब्ध कराये गये। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मास के अधिकांश लेखे असम्परीक्षित पड़े रह गये। ऊपर दर्शाये गये प्रकरण ऐसे हैं कि जिन पर सम्बन्धित अधिकारियों तथा राज्य सरकार द्वारा तत्काल विशेष कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

अन्त में इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर माननीय कार्यकारिणी/सदन का ध्यानाकर्षित कराना समीचीन होगा कि ऑडिट विभाग में ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक के 10 व लेखा परीक्षक के 17 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में मात्र 01 ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक व 5 लेखा परीक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार इतने कम ज्येष्ठ/वरिष्ठ लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षकों द्वारा यथासम्भव लेखा परीक्षा का कार्य कुशलतापूर्वक सम्पादित किया गया।

03-08-16

(हुबई)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक